Disclosure
SCOTLAND

व्यवहार संहिता

प्रकटीकरण जानकारी के इस्तेमाल और पंजीकृत व्यक्तियों के कार्यों के संदर्भ में

28 फरवरी 2011 का संस्करण

यदि व्यवहार संहिता से संबंधित आपके कोई प्रश्न हों, तो कृपया :

हमारी हेल्पलाइन 0870 609 6006 पर कॉल करें,

हमें info@disclosurescotland.co.uk पर ईमेल करें, या

हमारी वेबसाइट www.disclosurescotland.co.uk पर जाएं।

व्यवहार संहिता वेबसाइट पर उपलब्ध है।

यह व्यवहार संहिता (एसजी/2011/18) दिनांक 28 फरवरी 2011 को प्रकाशित, स्थापित और लागू की गई थी, इस तिथि से अरक्षित समूहों की सुरक्षा (स्कॉटलैंड) अधिनियम 2007 को वास्तविक रूप से आरंभ किया गया था और अरक्षित समूहों की सुरक्षा योजना को प्रचालनीय बनाया गया था, और इस तिथि से यह 24 जुलाई 2007 (एसई/2007/149) को प्रस्तुत की गई व्यवहार संहिता को प्रतिस्थापित करती है।

पैराग्राफ विषयवस्तु पृष्ठ

परिचय

1 से 5	परिचय	1
6 से 8	व्यवहार संहिता का उद्देश्य	1
9	संहिता की व्याख्या	2
10	संहिता का पालन किसे करना चाहिए?	3
11 से 17	डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड	3
18 से 30	प्रकटीकरण प्रमाणपत्रों के प्रकार – 1997 के अधिनियम के तहत जारी	4
31 से 45	प्रकटीकरण रिकॉर्डों के प्रकार – 2007 के अधिनियम के तहत जारी	5

पंजीकरण

46 से 50	1997 के अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए कौन आवेदन कर सकता है?	7
51 से 54	अन्य लोगों की ओर से काम करने वाला पंजीकृत व्यक्ति – "छतरी निकाय के रूप में काम करना"	8
55 और 56	स्कॉटलैंड स्थित केंद्रीय पंजीकृत निकाय	9
57 से 63	1997 के अधिनियम के तहत रजिस्टर	9
64	पंजीकरण के लिए कैसे आवेदन करें	11
65	पहचान	11
66 से 71	कॉरपोरेट और गैर–इनकॉरपोरेट निकायों के लिए प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता	11

प्रकटीकरण जानकारी के इस्तेमाल के संदर्भ में अनिवार्यताएं

72 से 79	प्रकटीकरण जानकारी का निष्पक्ष इस्तेमाल करना	12
80 से 92	प्रकट की गई जानकारी को संभालना	13
93 से 97	आश्वासन और लेखा–परीक्षण	14

पहचान

98 से 101	व्यक्ति की पहचान	15
102 से 107	यूके से बाहर पैदा हुए या यूके से बाहर रहे व्यक्ति	16

प्रकटीकरण में शामिल जानकारी पर विचार करना

108 और 109	प्रकटीकरण जानकारी पर विचार करते समय ध्यान देने योग्य बातें	16
110 से 112	प्रकटीकरणों की वैधता	17
113	विवाद	17

पंजीकरण को बर्खास्त करना

114 से 116	किसी पंजीकृत व्यक्ति या किसी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता की ओर से स्वयं को रजिस्टर से हटाने का अनुरोध	18
117 से 121	डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति को रजिस्टर से हटाना	18
122 से 134	प्रकटीकरण जानकारी तक पहुंच बनाने के लिए उपयुक्त नहीं समझे जाने वाले व्यक्ति	19
135 से 140	संहिता और पंजीकरण विनियमों में स्थित अनिवार्यताओं का अनुपालन करने में असफल रहना	20
141	प्रकटीकरणों का गुम होना	21

परिशिष्ट क : अपराधियों का पुनर्वासन अधिनियम 1974 – प्रावधानों की रूपरेखा 22
परिशिष्ट ख : अपराध : पुलिस एक्ट 1997 23
परिशिष्ट ग : अपराध : अरक्षित समूहों की सुरक्षा (स्कॉटलैंड) अधिनियम 2007 25

परिचय

परिचय

1. इस व्यवहार संहिता ("संहिता") को स्कॉटलैंड के मंत्रियों द्वारा, पंजीकृत व्यक्तियों को प्रदान की गई प्रकटीकरण सूचना के इस्तेमाल और इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा किन्हीं कार्यों का निर्वाह करने के संबंध में, पुलिस अधिनियम 1997 ("1997 अधिनियम") के भाग V की धारा 122[1] के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। यह संहिता समय–समय पर संशोधित की जा सकती है।

2. यह संहिता उन अनिवार्यताओं की पहचान करती है जिन्हें पंजीकृत व्यक्तियों या पंजीकृत व्यक्ति के नामित व्यक्ति (जिसे "प्रतिहस्ताक्षरकर्ता" कहा जाएगा) और प्रकटकीकरण जानकारी के अन्य प्राप्तकर्ताओं द्वारा पूरे करने की आवश्यकता होती है। संहिता के अनुपालन में हुई असफलता का परिणाम स्कॉटिश मंत्रियों द्वारा प्रकटीकरण को जारी करने से इंकार करने के रूप में हो सकता है। यदि स्कॉटिश मंत्री यह मानते हैं कि, कोई पंजीकृत व्यक्ति, कोई प्रतिहस्ताक्षरकर्ता या कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी ओर से एक पंजीकृत व्यक्ति या प्रतिहस्ताक्षरकर्ता ने किसी आवेदन को प्रतिहस्ताक्षरित किया हो या किसी प्रकटीकरण अनुरोध में कोई घोषणा की हो, इस संहिता के अनुपालन में असफल रहा है, तो वे उस व्यक्ति को रजिस्टर से हटा सकते हैं या उनके नाम को रजिस्टर में शामिल रखना जारी रखने के संदर्भ उन पर कुछ शर्तें लगाा सकते हैं।

3. प्रकटकीकरण सूचना के संबंध में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंजीकृत व्यक्तियों या प्रतिहस्ताक्षरकर्ताओं ने जिनको सूचना प्रदान की है वो संहिता का पालन करें, पंजीकृत व्यक्तियों या प्रतिहस्ताक्षरकर्ताओं का तर्कसंगत कदम उठाने चाहिए। यदि वे किसी अन्य व्यक्ति की ओर से काम कर रहे हों तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे जिनको सूचना दे रहे हैं वे संहिता का पालन कर रहे हैं उनके पास की जा रही प्रक्रियाओं के साक्ष्य होने चाहिए।

4. इसलिए किसी अन्य संगठन की ओर से प्रकटीकरण आवेदनों या अनुरोधों पर हस्ताक्षर करने वाले पंजीकृत व्यक्ति को पद या विनियमित कार्य का प्रस्ताव देने वाले संगठन के बारे में और दिए जा रहे पद या विनियमित कार्य की प्रकृति के बारे में कुछ जानकारी अवश्य होनी चाहिए। डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड में बिना पंजीकरण वाले संगठन की ओर से काम करने वाले पंजीकृत व्यक्ति को इन संगठनों को संहिता के नियमों और संहिता का अनुपालन नहीं करने के परिणामों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। संगठनों की ओर से काम करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों को इन संगठनों से लिखित आश्वासन लेना चाहिए कि वे संहिता का पालन कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियों में, पंजीकृत व्यक्तियों के लिए यह करना भी तर्कसंगत होगा कि वह यह जानने के लिए इन संगठनों का दौरा करें कि वहां संहिता का अनुपालन किया जा रहा है।

5. यदि संस्थाओं की ओर से काम करने वाले पंजीकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा कोई संगठन संहिता का अनुपालन करने में असफल रहा है तो उसे परिस्थितियों की रिपोर्ट तुरंत डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड को देनी चाहिए।

व्यवहार संहिता का उद्देश्य

6. संहिता का मंतव्य निम्न है :

- यह सुनिश्चित करना कि डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा प्रतिहस्ताक्षरकर्ताओं सहित पंजीकृत व्यक्तियों को जारी की गई प्रकटीकरण जानकारी का इस्तेमाल इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों द्वारा उचित और न्यायपूर्ण ढंग से किया जाए;
- उन व्यक्तियों, जो 1997 के अधियम के अंतर्गत प्रमाणिक या संवर्द्धित प्रकटीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं या अरक्षित समूहों की सुरक्षा अधिनियम 2007 ("2007 अधिनियम") के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए अनुरोध कर रहे हैं, को आश्वासन देने के लिए कि प्रकटीकरण जानकारी का इस्तेमाल इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा उचित और न्यायपूर्ण ढंग से किया जाएगा; और
- यह सुनिश्चत करने के लिए कि प्रकटीकरण जानकारी का इस्तेमाल और संग्रहण उचित रूप से किया जाएगा और इसे सिर्फ उतने ही समय तक रखा जाएगा जितना समय उस उद्देश्य के आवश्यक होगा जिसके लिए इसका अनुरोध किया गया था और उसके बाद इसका निस्तारण सुरक्षित ढंग से किया जाएगा।

[1] क्रिमिनल जस्टिस (स्कॉटलैंड) एक्ट 2003 की धारा 70(7) द्वारा संशोधित

7. प्रकटीकरण जानकारी के इस्तेमाल के बारे में वे अनिवार्यताएं जिनका अनुपालन प्रकटीकरण जानकारी के प्राप्तकर्ता को अवश्य करना चाहिए, निम्न से संबंधित है :

- पंजीकृत व्यक्तियों और प्रतिहस्ताक्षरकर्ताओं, जिन्होंने आवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर किए हैं या प्रकटीकरण अनुरोध पर घोषणाएं की हैं, को क्या करना चाहिए;
- प्रकटीकरण जानकारी का निष्पक्ष इस्तेमाल;
- जानकारी का रख–रखाव; और
- आश्वासन और लेखा–परीक्षण।

8. संहिता यह बात निर्धारित करती है कि 1997 के अधिनियम के अंतर्गत आवेदन तथा 2007 अधिनियम के अंतर्गत पीवीजी योजना प्रकटीकरण अनुरोध से संबंधित अनिवार्यताओं का अनुपालन प्रकटीकरण जानकारी के प्राप्तकर्ता किस तरह कर सकते हैं।

संहिता की व्याख्या

9. यह पैराग्राफ संहिता में इस्तेमाल हुए विभिन्न शब्दों तथा वाक्यांशों का अर्थ बताता है :

"1974 के अधिनियम" का अर्थ है अपराधियों का पुनर्वास अधिनियम 1974 – परिशिष्ट क में अधिनियम 1974 के विवरण और विमुक्त प्रश्नों को पूछने के बारे में जानकारी दी गई है;

"1997 के अधिनियम" का अर्थ है पुलिस अधिनियम 1997 जो भाग v में आपराधिक रिकॉर्ड प्रमाणपत्र के बारे में प्रावधान करता है;

"2007 के अधिनियम" का अर्थ है अरक्षित समूहों की सुरक्षा (स्कॉटलैंड) अधिनियम 2007, जो विनियमित कामों से संबंधित प्रकटीकरण के बारे में प्रावधान करता है;

"प्रतिहस्ताक्षरकर्ता" का अर्थ है कॉरपोरेट या गैर–इनकॉरपोरेट निकाय या वैधानिक कार्यालय–पदधारक द्वारा नामांकित एक व्यक्ति जो उस निकाय या व्यक्ति के लिए प्रमाणित या संवर्द्धित प्रकटीकरण के लिए आवेदनों को प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए या पीवीजी प्रकटीकरण अनुरोधों के लिए घोषणाएं करने के संबंध में कार्य करने के लिए अधिकृत हो;

"किसी आवेदन को प्रतिहस्ताक्षरित" करने का अर्थ है, प्रमाणित या संवर्द्धित प्रकटीकरण के लिए आवेदनों को प्रतिहस्ताक्षरित करना या पीवीजी प्रकटीकरण अनुरोधों के संबंध में घोषणाएं करना;

"प्रकटीकरण जानकारी" का अर्थ वह जानकारी है जो डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा पंजीकृत व्यक्ति या प्रतिहस्ताक्षरकर्ता को प्रदान की जाती है और जो निम्नलिखित में निहित है या निम्नलिखित के साथ शामिल है :

- 1997 के अधिनियम की धारा 113ए[2] के अंतर्गत जारी किए जाने वाले आपराधिक रिकॉर्ड प्रमाणपत्र (इस संहिता में "प्रमाणिक प्रकटीकरण" के रूप में संदर्भित हैं);
- 1997 के अधिनियम की धारा 113बी[2] के अंतर्गत जारी किए जाने वाले संवर्द्धित आपराधिक रिकॉर्ड प्रमाणपत्र (1997 के अधिनियम की धारा 113बी(5) के अंतर्गत संबद्ध पुलिस बलों[3] द्वारा प्रदान की गई जानकारी);
- 2007 के अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत प्रकट किए गए योजना रिकॉर्ड (इस संहिता में "योजना रिकॉर्ड" के रूप में संदर्भित है);
- 2007 के अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत प्रकट किए गए लघु योजना रिकॉर्ड (इस संहिता में "योजना रिकॉर्ड अपडेट" के रूप में संदर्भित है);

"विमुक्त प्रश्न" का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा ऐसी स्थिति में अपराध–मुक्ति के बारे में एक प्रश्न पूछने से है जिसमें 1974 के अधिनियम (यानी, यदि अपराध–मुक्ति हो चुकी हो तो इसे उजागर नहीं किया जाएगा) का सामान्य प्रभाव स्कॉटिश मंत्रियों द्वारा दिए गए एक आदेश के द्वारा छोड़ दिया गया हो;

---

[2] 1997 के अधिनियम की धारा 113 और 115 गंभीर संगठित अपराध तथा पुलिस अधिनियम 2005 की धारा 163(1) द्वारा प्रतिस्थापित हुई थी। गंभीर संगठित अपराध तथा पुलिस अधिनियम 2005 की धारा 163(2) को 1997 के अधिनियम की धारा 113ए और 113बी में डाला गया था।

[3] "प्रासंगिक पुलिस बल" का अर्थ पुलिस अधिनियम 1997 (क्रिमिनल रिकॉर्ड्स) (स्कॉटलैंड) विनियम 2010 (एसएसआई 2010/168) द्वारा बताए गए बलों से है।

"प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता" का अर्थ उस व्यक्ति है जो पंजीकरण आवेदन पर हस्ताक्षर करता है और कॉरपोरेट और गैर–इनकॉरपोरेट निकाय की ओर से काम करता है;

"छतरी निकाय" का अर्थ उस निकाय है जो 1997 के अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यक्ति है और जो प्रमाणिक या संवर्द्धित प्रकटीकरण के लिए आवेदनों को प्रतिहस्ताक्षरित करता है या उन संगठनों या व्यक्तियों, जो स्वयं डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड से पंजीकृत नहीं है लेकिन विमुक्त प्रश्न पूछने के योग्य हैं, के अनुरोध पर किसी योजना रिकॉर्ड या योजना रिकॉर्ड अपडेट के लिए पीवीजी प्रकटीकरण अनुरोधों के संबंध में घोषणाएं करता है।

संहिता का अनुपालन किसे करना चाहिए?

10. यह संहिता उस प्रकटीकरण जानकारी के इस्तेमाल पर लागू होती है जो डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की गई है। इसलिए इसके प्रावधान सभी प्राप्तकर्ताओं, जो पंजीकृत व्यक्ति से इस प्रकार की प्रकटीकरण जानकारी को प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं, पर लागू होते हैं। यह उस व्यक्ति पर लागू नहीं होता जो प्रकटीकरण जानकारी का विषय है और जो डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड से प्रकटीकरण भी प्राप्त करता है। यह कहा जा सकता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों इस संहिता का अनुपालन अवश्य करना चाहिए :

- कॉरपोरेट और गैर–इनकॉरपोरेट निकायों और वैधानिक कार्यालय–पदधारकों और छतरी निकायों सहित, 1997 के अधिनियम की धारा 120[4] के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी व्यक्ति;
- कॉरपोरेट और गैर–इनकॉरपोरेट निकायों और वैधानिक कार्यालय–पदधारकों के द्वारा उनकी ओर से आवेदनों को प्रतिहस्ताक्षरित करने या प्रकटीकरण अनुरोधों के संबंध में पीवीजी घोषणाएं करने के उद्देश्य से नामांकित व्यक्ति के कर्मचारी या एजेंट/प्रतिनिधि; और
- उन निकायों या व्यक्तियों को जिनकी ओर से पंजीकृत व्यक्ति ने आवेदनपत्र को प्रतिहस्ताक्षरित किया है या प्रकटीकरण जानकारी के संबंध में पीवीजी घोषणा की है।

डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड

11. डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड के 1997 के अधिनियम और 2007 के अधिनियम के अंतर्गत, भर्ती और नियुक्ति के समर्थन में प्रकटीकरण जारी करने और कुछ निश्चित पंजीकरण और लाइसेंस कार्यों के संबंध में, स्कॉटिश मंत्रियों के कार्यों का निर्वहन करता है।

12. 1997 के अधिनियम में तीन प्रकार के प्रमाणपत्रों को जारी करने का प्रावधान है : "मूल प्रकटीकरण", "प्रमाणिक प्रकटीकरण" और "संवर्द्धित प्रकटीकरण"। 2007 के अधिनियम में तीन प्रकार के प्रकटीकरण रिकॉर्ड जारी करने का प्रावधान है : "योजना रिकॉर्ड", "योजना रिकॉर्ड अपडेट" और "योजना सदस्यता वक्तव्य"।

13. प्रकटीकरण के आवेदन या अनुरोध उस व्यक्ति द्वारा शुरू किए जाते है जो प्रकटीकरण का विषय–व्यक्ति होता है। यह आम तौर पर नियोक्ता, स्वैच्छिक संगठनों या लाइसेंसिंग या विनियामक निकायों के अनुरोध पर किया जाएगा क्योंकि वे व्यक्ति के बारे जितना संभव हो सके उतने ब्योरे एकत्रित करना चाहते हैं और प्रकटीकरण जानकारी का इस्तेमाल अपने मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में करना चाहते हैं। यह स्टाफ के संभावित और वर्तमान दोनों सदस्यों से संबंधित है।

14. 2007 के अधिनियम के लिए यह आवश्यक है कि संगठन स्वयं को संतुष्ट करें कि कोई व्यक्ति जिसे वे विनियमित कार्य में कोई पद देने का इरादा करते हैं वह प्रासंगिक कार्यबल(लों) से प्रतिबंधित नहीं है। यदि संगठन प्रासंगिक कार्यबल के लिए प्रतिबंधित किसी व्यक्ति को विनियमित कार्य करने का प्रस्ताव देते हैं तो वे अपराध करते हैं। कोई व्यक्ति प्रतिबंधित है या नहीं इसे जांचने का एकमात्र तरीका यह है कि संगठन उस व्यक्ति को 2007 के अधिनियम के तहत एक प्रकटीकरण अनुरोध करने को कहे। 2007 के अधिनियम के तहत एक प्रकटीकरण अनुरोध करने के लिए व्यक्ति को पीवीजी योजना में शामिल होने के लिए आवेदन करना होगा या उसे पहले से इसका सदस्य होना चाहिए।

15. यदि उनसे नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए तो न तो 1997 का अधिनियम और न ही 2007 का अधिनियम किसी व्यक्ति को प्रकटीकरण आवेदन या अनुरोध करने के लिए बाध्य करता है।

[4] क्रिमिनल जस्टिस (स्कॉटलैंड) एक्ट 2003 की धारा 70(7) द्वारा और अरक्षित समूहों की सुरक्षा (स्कॉटलैंड) अधिनियम 2007 की अनुसूची 4, पैराग्राफ 39 द्वारा संशोधित।

16. डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड का इस्तेमाल करना नियोक्ता द्वारा की जाने वाली मौजूदा नियुक्ति–पूर्व और चल रही रोज़गार जांचों की पूरी श्रृंखला का प्रतिस्थापन नहीं है। 1997 के अधिनियम और 2007 के अधिनियम, दोनों ही स्थितियों में प्रमाणपत्र या रिकॉर्ड में दी गई जानकारी नियोक्ता के निर्णय का एकमात्र कारक नहीं होनी चाहिए।

17. डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा जारी किए गए प्रकटीकरण प्रमाणपत्र (1997 का अधिनियम) और योजना रिकॉर्ड (2007 का अधिनियम) में युनाइटेड किंगडम में की गई गहन छानबीन संबंधी जानकारी शामिल हो सकती है या वे यह कहेंगे कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

प्रकटीकरण प्रमाणपत्रों के प्रकार – 1997 के अधिनियम के अंतर्गत जारी

मूल प्रकटीकरण

18. **मूल प्रकटीकरण।** कोई भी व्यक्ति अपने बारे में मूल प्रकटीकरण के लिए आवेदन कर सकता है और पहचान की पुष्टि तथा उपयुक्त शुल्क के भुगतान के पश्चात यह उस व्यक्ति को जारी किया जाएगा। आवेदन को पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया जाता है। एक प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। यह आम तौर पर व्यक्ति के घर के पते पर भेजा जाता है, हालांकि, व्यक्ति की लिखित सहमति होने पर, प्रमाणपत्र किसी अन्य पते पर भी भेजा जाएगा, उदाहरण के लिए, भावी नियोक्ता के पते पर।

19. मूल प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल हैं :

- यूके के केंद्रीय रिकॉर्ड में मौजूद अपूर्ण अपराध–सिद्धि, या यह बताता है कि ऐसी कोई अपराध–सिद्धि नहीं है; और
- क्या यह व्यक्ति यौन अपराधियों वाले रजिस्टर में शामिल है।[5]

मानक प्रकटीकरण

20. **मानक प्रकटीकरण** ऐसे पदों के लिए उपलब्ध है जिनके बारे में विमुक्त–प्रश्न पूछा जा सकता है। वे पद जो इस अधिनियम के अधीन दिए गए आदेश द्वारा 1974 के अधिनियम के प्रभावों का अपवर्जन और अपवाद हैं (विमुक्त–प्रश्न पूछने के बारे में अधिक जानकारी परिशिष्ट क में दी गई है)। स्कॉटलैंड में अपराधियों का पुनर्वास अधिनियम 1974 (अपवर्जन और अपवाद) (स्कॉटलैंड) आदेश 2003 (एसएसआई 2003/231) (के रूप में संशोधित) ("आदेश 2003") प्रासंगिक आदेश है। प्रमाणिक प्रकटीकरण, उपयुक्त शुल्क का भुगतान करने पर, उन व्यक्तियों को उपलब्ध है जिनके आवेदन पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हैं। उस व्यक्ति को प्रमाणपत्र जारी करने के अलावा, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड आवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को भी प्रमाणपत्र जारी करता है।

21. पंजीकृत व्यक्ति, जो अपने उद्देश्यों के लिए प्रमाणिक प्रकटीकरण आवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर करते है, को संतुष्ट होना चाहिए कि विमुक्त–प्रश्न पूछने की पात्रता के कारण वे प्रकटीकरण जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं।

22. यदि किसी ऐसे संगठन या व्यक्ति की ओर से काम कर रहे हों जो अधिनियम 1997 की धारा 120 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है तो छतरी निकाय को स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि जिनकी ओर से वे आवेदनों पर प्रतिहस्ताक्षर करने जा रहे हैं वे अपने संगठन की विशेषता के कारण प्रकटीकरण जानकारी पाने के लिए अधिकृत हैं या वह व्यक्ति विमुक्त–प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत है।

23. प्रमाणिक प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल हैं :

- यूके के केंद्रीय रिकॉर्ड में अपराध–सिद्धि या चेतावनी का होना या यह बताता हो कि ऐसे कोई मामले नहीं हैं; और
- क्या यह व्यक्ति यौन अपराधियों वाले रजिस्टर में शामिल है।[6]

संवर्द्धित प्रकटीकरण

24. **संवर्द्धित प्रकटीकरण** तब उपलब्ध होता है जब कोई विमुक्त–प्रश्न किसी निर्धारित उद्देश्य के लिए पूछा जाता है जैसा कि पुलिस अधिनियम 1997 क्रिमिनल रिकॉर्ड (स्कॉटलैंड) रेग्युलेशन 2010 (एसएसआई 2010/68) (दि क्रिमिनल रिकॉर्ड रेगुलेशन) के नियम 9, 10 और 12 में बताया गया है। संवर्द्धित प्रकटीकरण, उपयुक्त शुल्क का भुगतान करने पर, उन व्यक्तियों को उपलब्ध होता है जिनके आवेदन पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होते हैं। उस व्यक्ति को प्रमाणपत्र जारी करने के अलावा, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड आवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को भी एक प्रमाणपत्र भेजता है।

---

[5] 2007 के अधिनियम की धारा 78(1) द्वारा डाली गई। धारा 78(1) का आरंभ 28 फरवरी 2011 को नहीं हुआ था। धारा 78(1) के लिए आरंभ होने की तिथि को डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड की वेबसाइट पर उपयुक्त समय पर प्रकाशित किया जाएगा।

[6] 2007 के अधिनियम की धारा 78(2) द्वारा डाली गई।

25. जो पंजीकृत व्यक्ति संवर्द्धित प्रकटीकरण के आवेदनों पर प्रतिहस्ताक्षर करते है, उनको संतुष्ट होना चाहिए कि वे अधिनियम 1974 के अंतर्गत क्रिमिनल रिकॉर्ड रेग्युलेशन में निर्धारित उद्देश्य के लिए विमुक्त–प्रश्न पूछने की पात्रता के कारण प्रकटीकरण जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। किसी निर्धारित उद्देश्य के लिए विमुक्त–प्रश्न पूछने का अर्थ क्रिमिनल रिकॉर्डस रेग्युलेशंस के विनियमों 9, 10 और 12 में वर्णित किन्हीं भी मामलों के उद्देश्यों के लिए या किन्हीं भी व्यक्तियों के संबंध में पूछे जाने वाले किसी विमुक्त–प्रश्न से है। ऐसे मामलों और व्यक्तियों के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट http://www.legislation.gov.uk/ssi/2010/168/contents/made से प्राप्त की जा सकती है। ऐसे मामलों में जांच के अधीन व्यक्ति के संदर्भ में अपराध–मुक्ति के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है।

26. यदि किसी संगठन या व्यक्ति की ओर से काम कर रहे हों जो अधिनियम 1997 की धारा 120 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है तो छतरी निकाय को स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि जिनकी ओर से वे आवेदनों पर प्रतिहस्ताक्षर करने जा रहे हैं वे अपने संगठन की विशेषता के कारण प्रकटीकरण जानकारी पाने के लिए अधिकृत हैं या वह व्यक्ति क्रिमिनल रिकॉर्डस रेग्युलेशंस द्वारा बताए गए निर्धारित उद्देश्य हेतु विमुक्त–प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत है।

27. संवर्द्धित प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल हैं :

- यूके के केंद्रीय रिकॉर्ड में अपराध–सिद्धि या चेतावनी का मौजूद होना या यह बताता हो कि ऐसे कोई मामले नहीं हैं; और
- क्या यह व्यक्ति यौन अपराधियों वाले रजिस्टर में शामिल है ;
- अन्य संबंधित जानकारी, जिसमें संबंधित पुलिस बल द्वारा प्रदान गैर अपराध–सिद्धि की जानकारी भी शामिल है; और
- (कुछ मामलों में) वर्जित सूचियों और निर्धारित नागरिक आदेशों में शामिल किए जाने के बारे में जानकारी।

28. किसी प्रासंगिक पुलिस बल का मुख्य अधिकारी भी उस व्यक्ति को सीधे प्रकटीकरण जानकारी दे सकता है जिसने संवर्द्धित प्रकटीकरण आवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर किए हों। यह जानकारी प्रमाणपत्र में शामिल नहीं की जाएगी, लेकिन इसे फिर भी प्रकटीकरण जानकारी माना जाएगा। ऐसी जानकारी अलग से भेजी जाएगी और इसे संवर्द्धित प्रकटीकरण के अधीन व्यक्ति को मिलने से रोका जाना चाहिए। यह संभव है कि मुख्य अधिकारी संवर्द्धित प्रकटीकरण आवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को इस तरह के प्रकटीकरण की शर्तों और इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है इस संबंध में अपनी अपेक्षाओं को रेखांकित करते हुए पत्र भेजे। डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड की पहुंच इस जानकारी या पत्र की सामग्री तक नहीं है।

29. जब कोई विमुक्त–प्रश्न मामलों या व्यक्तियों से संबंधित एक ऐसे उद्देश्य के लिए पूछा जा रहा हो, जिसे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रेग्युलेशंस के विनियमों 10 और 12 में सुझाया गया है और जहां संवर्द्धित प्रकटीकरण के साथ बच्चों (1997 के अधिनियम की धारा 113सीए) या सुरक्षित वयस्कों (1997 के अधिनियम की धारा 113सीबी) के संबंध में एक उपयुक्तता जानकारी वक्तव्य हो, तो समूचे यूके में संगत प्रतिबंधित सूचियों की जांच की जाएगी। प्रमाणपत्र यह बताएगा कि क्या वह व्यक्ति उस प्रकार के विनियमित कार्य को करने से प्रतिबंधित है या नहीं जिससे कि प्रकटीकरण का संबंध है; और क्या वह व्यक्ति स्कॉटिश मंत्रियों द्वारा पीवीजी बच्चों की सूची या वयस्कों की सूची में रखने के लिए विचाराधीन है या नहीं।

30. उपयुक्तता जानकारी वाले संवर्द्धित प्रकटीकरण में निम्नलिखित नागरिक आदेशों का प्रकटीकरण किया जा सकता है :

- यौन अपराध अधिनियम 2003 ("अधिनियम 2003") के तहत एक यौन अपराध निरोधक आदेश (या अंतरिम आदेश);
- अधिनियम 2003 के तहत एक विदेश यात्रा आदेश;
- अधिनियम 2003 के तहत यौन हानि के जोखिम का आदेश (या अंतरिम आदेश);
- अधिनियम 2003 के तहत एक अधिसूचना आदेश (या अंतरिम आदेश); और
- बाल संरक्षण एवं यौन अपराधों की रोकथाम (स्कॉटलैंड) अधिनियम 2005 के तहत यौन हानि के जोखिम का आदेश (या अंतरिम आदेश)।

अधिनियम 2007 के तहत जारी किए जाने वाले – प्रकटीकरण रिकॉर्ड्स के प्रकार

31. 2007 के अधिनियम के तहत आवेदन या अनुरोधों को 2007 के अधिनियम की धारा 91 के अर्थों में विनियमित कार्यों से संबद्ध होना चाहिए। 2003 आदेश के संबंध में, 2007 के अधिनियम के तहत विनियमित कार्य करने वाले या विनियमित कार्य करने की इच्छा रखने वाले के बारे में विमुक्त–प्रश्न पूछा जा सकता है।

32. पंजीकृत व्यक्तियों या प्रतिहस्ताक्षरकर्ताओं, जो योजना रिकॉर्ड या योजना रिकॉर्ड अपडेट के लिए प्रकटीकरण अनुरोध के संबंध में घोषणाएं करते है, को संतुष्ट होना चाहिए कि वे 2007 के अधिनियम की धारा 55 में बताई गई सभी प्रकटीकरण शर्तों को पूरा करने के आधार पर प्रकटीकरण जानकारी पाने के लिए अधिकृत हैं।

33. यदि किसी संगठन या व्यक्ति की ओर से काम कर रहे हैं जो 1997 के अधिनियम की धारा 120 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है तो पंजीकृत व्यक्ति को स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि वे जिनकी ओर से योजना रिकॉर्ड या योजना रिकॉर्ड अपडेट के लिए प्रकटीकरण अनुरोध के संबंध में घोषणाएं करने जा रहे हैं वे 2007 के अधिनियम की धारा 55 में बताई गई प्रकटीकरण शर्तें ए और सी को पूरा करने के कारण प्रकटीकरण जानकारी पाने के लिए अधिकृत हैं।

योजना रिकॉर्ड

34. योजना रिकॉर्ड मूल सदस्यता संबंधी जानकारी को दर्शाता है :

- विनियमित कार्य का वह प्रकार/प्रकारों जिनके संबंध में वह व्यक्ति पीवीजी का एक सदस्य है (जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उस व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के विनियमित कार्य किए जाने पर रोक नहीं लगाई गई है); और
- यह तथ्य बताता है कि, क्या वह व्यक्ति विनियमित कार्य का प्रकार/के प्रकारों के लिए सूची में शामिल किए जाने के लिए विचाराधीन है या नहीं।

35. गहन छानबीन संबंधी कोई भी जानकारी योजना रिकॉर्ड में शामिल होती है जो उस व्यक्ति के बारे में मौजूद है। गहन छानबीन में पाई गई जानकारियां हैं :

- यूके में केंद्रीय रिकॉर्ड पर मौजूद सजाएं और चेतावनियां;
- क्या यह व्यक्ति यौन अपराधियों वाले रजिस्टर में शामिल है;
- अन्य संबंधित जानकारी, जिसमें संबंधित पुलिस बल द्वारा प्रदान गैर अपराध–सिद्धि की जानकारी भी शामिल है; और
- बताए गए नागरिक आदेश।

36. वही नागरिक आदेश जिन्हें उपयुक्तता वक्तव्य के साथ संवर्द्धित प्रकटीकरण में प्रकट किया जा सकता है, उन्हें योजना रिकॉर्ड (ऊपर पैराग्राफ 30 देखें) पर गहन छानबीन संबंधी जानकारी के रूप में भी प्रकट किया जा सकता है।

37. योजना रिकॉर्ड में निम्नलिखित जानकारियां भी शामिल हैं :

- व्यक्ति का नाम, पता, जन्मतिथि और पीवीजी योजना सदस्यता संख्या;
- योजना रिकॉर्ड की विशेष संख्या;
- पंजीकृत व्यक्ति का नाम और पता और प्रतिहस्ताक्षरकर्ता का विवरण (पंजीकृत व्यक्ति और किसी नियामक निकाय की प्रति पर); और
- नियामक निकाय का नाम, पता और पंजीकरण संख्या (केवल नियामक निकाय के लिए किसी भी प्रति पर)

योजना रिकॉर्ड अपडेट

38. योजना रिकॉर्ड अपडेट को संगठनों द्वारा तब इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब वे किसी व्यक्ति को, जो पहले से पीवीजी योजना का सदस्य हो, उनके लिए विनियमित कार्य करने के लिए कह रहे हों। संगठन को पंजीकृत व्यक्ति होना चाहिए या किसी छतरी निकाय को उनकी ओर से विनियमित कार्य करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए।

39. योजना रिकॉर्ड अपडेट मूल सदस्यता संबंधी जानकारी को दर्शाता है :

- विनियमित कार्य का/के वह प्रकार जिनके संबंध में वह व्यक्ति पीवीजी का एक सदस्य है (जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उस व्यक्ति पर इस प्रकार का विनियमित कार्य करने के लिए रोक करने नहीं लगाई गई है); और
- यह तथ्य बताता है कि, क्या वह व्यक्ति विनियमित काम का/के प्रकार के लिए सूची में शामिल किए जाने के लिए विचाराधीन है या नहीं।

40. योजना रिकॉर्ड अपडेट में निम्नलिखित शामिल हैं :

- वह तिथि जिस पर पीवीजी योजना के सदस्य के योजना रिकॉर्ड का पिछली बार प्रकटीकरण किया गया था (और व्यक्ति की प्रतिलिपि की प्रकटीकरण रिकॉर्ड संख्या)
- इस बारे में वक्तव्य कि क्या योजना रिकॉर्ड में गहन छानबीन संबंधी जानकारी शामिल है या नहीं;
- या तो यह पुष्टि करने वाला वक्तव्य कि योजना रिकॉर्ड के पिछले प्रकटीकरण के बाद उसमें गहन छानबीन संबंधी जानकारी जोड़ी नहीं गई है या फिर प्रत्येक संवर्द्धन की तिथि;
- या तो यह पुष्टि करने वाला वक्तव्य कि योजना रिकॉर्ड के पिछले प्रकटीकरण के बाद गहन छानबीन संबंधी जानकारी हटाई नहीं गई है या फिर प्रत्येक बार हटाये जाने की तिथि;

41. योजना रिकॉर्ड अपडेट में निम्नलिखित जानकारियां भी शामिल हैं :

- व्यक्ति का नाम, पता, जन्मतिथि और पीवीजी योजना सदस्यता संख्या;
- योजना रिकॉर्ड अपडेट की विशेष संख्या;
- पंजीकृत व्यक्ति का नाम और पता और प्रतिहस्ताक्षरकर्ता के विवरण।

42. गहन छानबीन संबंधी जानकारी योजना रिकॉर्ड अपडेट में शामिल नहीं होती है।

योजना सदस्यता संख्या संबंधी वक्तव्य

43. योजना सदस्यता संबंधी वक्तव्य को उन व्यक्तिगत नियोक्ताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है जो किसी व्यक्ति को उनके लिए विनियमित कार्य करने को कह रहे हैं या उन व्यक्तियों के लिए जो भविष्य में कभी विनियमित कार्य करना चाहते हैं। चूंकि यह व्यक्तिगत नियोक्ताओं के साथ साझा करने के लिए है इसलिए इसमें गहन छानबीन संबंधी जानकारी शामिल नहीं होती है। पंजीकृत व्यक्ति को इस तरह के प्रकटीकरण के लिए अनुरोध करना चाहिए क्योंकि इसमें वह सभी जानकारी नहीं होती जिसके लिए वे अधिकृत हैं (लेकिन वे ऐसा करने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं)।

44. योजना सदस्यता संबंधी वक्तव्य मूल सदस्यता संबंधी जानकारी को दर्शाता है :

- विनियमित कार्य का/के वह प्रकार जिनके संबंध में वह व्यक्ति पीवीजी का एक सदस्य है (जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उस व्यक्ति पर इस प्रकार के विनियमित कार्य करने के लिए रोक नहीं लगाई गई है); और
- यह तथ्य बताता है कि, क्या वह व्यक्ति विनियमित कार्य का/के प्रकार के लिए सूची में शामिल किए जाने के लिए विचाराधीन है या नहीं।

45. योजना सदस्यता संबंधी वक्तव्य में निम्नलिखित जानकारियां भी शामिल हैं :

- व्यक्ति का नाम, पता, जन्मतिथि और पीवीजी योजना सदस्यता संख्या;
- योजना रिकॉर्ड की विशेष संख्या; और
- व्यक्तिगत नियोक्ता की प्रतिलिपि पर व्यक्तिगत नियोक्ता का नाम और पता (यदि लागू होता हो)।

पंजीकरण

1997 के अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

46. 1997 के अधिनियम के भाग V की धारा 120 के तहत पंजीकरण हेतु आवेदन डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड से किए जाने चाहिए। इंग्लैंड और वेल्स, या उत्तरी आयरलैंड में मौजूद पदों के लिए आवेदन उपयुक्त संगठन में जमा किए जाने चाहिए, जो हैं : इंग्लैंड और वेल्स में मौजूद पदों के लिए दि क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो (सीआरबी), और उत्तरी आयरलैंड में मौजूद पदों के लिए एक्सेसएनआई (AccessNI)।

47. जो व्यक्ति या निकाय प्रमाणिक या संवर्द्धित प्रकटीकरणों के लिए आवेदनों को प्रतिहस्ताक्षरित करना चाहते हैं या पीवीजी प्रकटीकरण के संबंध में घोषणाएं करना चाहते हैं उनका डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड से पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण के लिए आवेदन करने वालों को कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करना होगा। ये शर्तें हैं कि पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को निम्न होना चाहिए :

- एक कॉरपोरेट या गैर–इनकॉरपोरेट निकाय,
- वैधानिक कार्यालय–पदधारक के रूप में नियुक्त व्यक्ति, या
- एक ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय की अवधि के दौरान दूसरे व्यक्तियों को रोज़गार देता है।

48. इसके अलावा उस व्यक्ति को (चाहे वह व्यक्ति अकेला है, वैधानिक कार्यालय–पदधारक के रूप में नियुक्त व्यक्ति है या एक कॉरपोरेट या गैर–इनकॉरपोरेट निकाय है) डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड को इस बात के लिए संतुष्ट कर पाने में सक्षम होना चाहिए कि उनके द्वारा 2003 के आदेश के आधार पर विमुक्त–प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। यदि पंजीकृत व्यक्ति आवेदन को प्रतिहस्ताक्षरित करना या पीवीजी घोषणा करना या अन्य निकायों अथवा व्यक्तियों की ओर से अनुरोध करना चाहता हो तो पंजीकृत व्यक्ति को डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड को संतुष्ट कर पाने में सक्षम होना चाहिए कि वह जिनकी ओर से काम कर रहा है वे निकाय या व्यक्ति विमुक्त–प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत हैं।

49. डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड, प्रारंभिक पंजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, यह जानने के लिए जांच करेगा कि पंजीकृत व्यक्ति, मुख्य हस्ताक्षरकर्ता या प्रतिहस्ताक्षरकर्ता बनने के लिए आवेदन करने वाले लोग प्रकटीकरण जानकारी तक पहुंच बनाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं या नहीं। ऐसे व्यक्तियों को, यदि उपयुक्त पाया जाता है तो उनको लिखित रूप में सलाह दी जाएगी कि उनको स्वीकार कर लिया गया है और उनको उनका पंजीकृत निकाय कोड और विशेष प्रतिहस्ताक्षरकर्ता कोड मिल जाएगा। इसके अलावा, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड यह पुष्टि करने के लिए जांच करेगा कि रजिस्टर में सूचीबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रकटीकरण जानकारी को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त बना हुआ है या नहीं। पंजीकरण के पहले साल में डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड प्राप्त हुए आवेदनों और अनुरोधों की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि संगठनों को कानून की समझ है। इससे फार्मों को पूरा भरने में होने वाली गलतियां कम होंगी।

50. बुनियादी प्रकटीकरणों के संबंध में पंजीकृत व्यक्ति की भूमिका हो सकती है। इन परिस्थितियों में यह उम्मीद की जाती है कि संगठन डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड में आवेदन जमा करने से पहले व्यक्ति की पहचान को प्रमाणित करेगा और जानकारी की सटीकता को सुनिश्चित करेगा।

अन्य लोगों की ओर से काम करने वाला पंजीकृत व्यक्ति – "छतरी निकाय के रूप में काम करना"

51. छतरी निकाय अन्य संगठनों की ओर से प्रमाणिक या संवर्द्धित प्रकटीकरण के आवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर या पीवीजी प्रकटीकरण अनुरोधों के संबंध में घोषणाएं कर सकते हैं। अन्य संगठनों की ओर से प्रमाणिक या संवर्द्धित प्रकटीकरण के आवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर करने वाले छतरी निकाय को संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि जिनकी ओर वे आवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर करना चाहते हैं वे अपने संगठन की विशेषता के कारण प्रकटीकरण जानकारी को पाने के लिए अधिकृत हैं या नहीं अथवा वह व्यक्ति एक विमुक्त प्रश्न पूछने के लिए योग्य है या नहीं। संवर्द्धित प्रकटीकरणों के लिए, संगठन या व्यक्ति क्रिमिनल रिकॉर्डस रेगुलेशनस[7] द्वारा बताए गए निर्धारित उद्देश्य हेतु विमुक्त–प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत होना चाहिए।

52. अन्य संगठनों की ओर से पीवीजी प्रकटीकरण अनुरोधों के संबंध में घोषणाएं करने वाले छतरी निकायों को संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि जिनकी ओर वह घोषणाएं करना चाहते हैं वे अपने संगठन की विशेषता के कारण प्रकटीकरण जानकारी पाने के लिए अधिकृत हैं या वह व्यक्ति विनियमित कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति की उपयुक्तता के संबंध में या 2007 के अधिनियम के तहत विनियमित कार्य करने या विनियमित कार्यों को जारी रखने के लिए किसी व्यक्ति की उपयुक्तता के संबंध में विमुक्त–प्रश्न पूछने के लिए योग्य है।

53. प्रकटीकरण सूचना के संबंध में, यह सुनिश्चित करने के लिए छतरी निकायों को तर्कसंगत कदम उठाने चाहिए कि उन्होंने जिनकी ओर से काम किया है और जिनको प्रकटीकरण जानकारी प्रदान की है वे भी प्रकटीकरण जानकारी के इस्तेमाल के संबंध में इस संहिता की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। तर्कसंगत कदमों में, जिनकी ओर से वे काम कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना और ये सुनिश्चित करने का प्रमाण शामिल है कि वे जिनको जानकारी देते हैं वे संहिता का अनुपालन करते हैं। छतरी निकाय का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति या संगठन द्वारा संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए छतरी निकाय द्वारा उपयुक्त कार्रवाई करने में असफलता के परिणामस्वरूप डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड उस छतरी निकाय के आवेदनों या अनुरोधों पर प्रक्रिया करने से इंकार कर सकता है। छतरी निकाय का इस्तेमाल करने वाले किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा संहिता के अनुपालन में हुई असफलता के परिणामस्वरूप छतरी निकाय या डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड उस व्यक्ति या संगठन के आवेदन या अनुरोधों पर प्रक्रिया करने से इंकार कर सकता है।

54. संगठनों और व्यक्तियों की ओर से काम करने वाले छतरी निकाय, जो डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड से पंजीकृत नहीं है, से डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा उन व्यक्तियों और संगठनों का विवरण मांगा जा सकता है जिनकी ओर से वे आवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर करते हैं या पीवीजी घोषणाएं करते हैं या अनुरोध करते हैं। डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड की गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में इस जानकारी की आवश्यकता हो सकती है।

[7] पुलिस अधिनियम 1997 (क्रिमिनल रिकॉर्ड्स) (स्कॉटलैंड) विनियम 2010 (एसएसआई 2010/168)।

स्कॉटलैंड स्थित केंद्रीय पंजीकृत निकाय

55. स्कॉटलैंड स्थित केंद्रीय पंजीकृत निकाय (दि सेंट्रल रजिस्टर्ड बॉडी इन स्कॉटलैंड या सीआरबीएस) को वॉलंटियर डेवलपमेंट स्कॉटलैंड के तत्वावधान में स्थापित किया गया है। सीआरबीएस को डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड के साथ एक छतरी निकाय के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह स्कॉटलैंड में स्थित अर्हता रखने वाले स्वयंसेवी संगठनों[8] की ओर से कार्य कर सकता है।

56. सीआरबीएस इस संहिता के अनुसार 1997 और 2007 के अधिनियमों के तहत आवेदन तथा अस्वीकरण अनुरोधों पर काम करेगा। सीआरबीएस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन संगठनों की ओर से यह कार्य करता है वे विनियमित कार्य के उद्दश्यों के लिए एक विमुक्त प्रश्न पूछने हेतु प्राधिकृत होने के कारण अस्वीकरण जानकारी को प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं और अन्य विमुक्त पद संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में हैं। एक छतरी निकाय के रूप में सीआरबीएस का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों या कॉरपोरेट अथवा गैर–इनकॉरपोरेट निकायों द्वारा सीआरबीएस और इस संहिता की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप आवेदनों या अनुरोधों पर अपनी ओर से कार्य करने के लिए सीआरबीएस द्वारा उन्हें मना किया जा सकता है। सीआरबीएस के बारे में अधिक जानकारी उनकी वेबसाइट www.crbs.org.uk पर उपलब्ध है।

1997 के अधिनियम के तहत रजिस्टर

57. दि पुलिस एक्ट (आपराधिक रिकॉर्ड्स) (पंजीकरण) (स्कॉटलैंड) विनियमों 2010 (एसएसआई 2010/383) ("पंजीकरण विनियम") स्कॉटिश मंत्रियों की ओर से डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में शामिल किए जाने वाले ब्योरों का उल्लेख करता है। ये इस प्रकार हैं :

(क) जहां व्यक्ति किसी व्यवसाय की प्रक्रिया में अन्य लोगों को रोज़गार प्रदान करने वाला व्यक्ति हो :

(i) व्यक्ति का कुलनाम, सभी प्रथमनाम और पदवी, कोई पूर्व कुलनाम और प्रथमनाम, घर का पता, जन्मतथि, जन्म का स्थान और देश और कोई वर्तमान व्यावसायिक पता, व्यावसायिक टेलीफोन या फैक्स नंबर अथवा कोई ई–मेल पता, जिन्हें उस व्यक्ति द्वारा संचार–संबंधी उद्देश्यों के लिए स्कॉटिश मंत्रियों को सूचित किया गया हो;

(ii) वह तिथि जब व्यक्ति का नाम रजिस्टर में पहली बार शामिल किया गया था;

(iii) शामिल किए जाने वाले व्यक्ति को निर्दिष्ट की गई संख्या;

(iv) उन विमुक्त प्रश्नों की प्रकृति तथा उद्देश्य, जिन्हें व्यक्ति द्वारा पूछे जाने की संभावना हो; और

(v) शामिल किए जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर का एक नमूना।

(ख) जहां व्यक्ति कोई कॉरपोरेट या गैर–इनकॉरपोरेट निकाय हो :

(i) प्रमुख हस्तारकर्ता और किसी भी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता का कुलनाम, सभी प्रथमनाम और पदवी, कोई पूर्व कुलनाम और प्रथमनाम, घर का पता, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और देश और कोई वर्तमान व्यावसायिक पता, व्यावसायिक टेलीफोन या फैक्स नंबर अथवा कोई ई–मेल पता, जिन्हें उस निकाय द्वारा संचार–संबंधी उद्देश्यों के लिए स्कॉटिश मंत्रियों को सूचित किया गया हो;

(ii) वह तिथि जब प्रमुख हस्तारकर्ता और किसी भी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता का नाम रजिस्टर में पहली बार शामिल किया गया था;

(iii) शामिल किए जाने वाले प्रमुख हस्तारकर्ता और किसी भी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट की गई संख्या;

(iv) उन विमुक्त प्रश्नों, यदि कोई हों, की प्रकृति तथा उद्देश्य, जिन्हें निकाय द्वारा पूछे जाने की संभावना है;

(v) प्रमुख हस्तारकर्ता और किसी भी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर का एक नमूना।

---

[8] ये ऐसे संगठन हैं जिनके संदर्भ में स्वयंसेवियों हेतु पीवीजी प्रकटीकरण रिकॉर्डों के लिए शुल्क माफ है, देखें अरक्षित समूहों की सुरक्षा (स्कॉटलैंड) अधिनियम 2007 (योजना सदस्यता तथा प्रकटीकरण अनुरोधों हेतु शुल्क) विनियम 2010 (एसएसआई/2010/167)।

(vi) विमुक्त प्रश्न पूछने वाले निकायों या व्यक्तियों के अनुरोध पर 1997 के अधिनियम की धारा 113ए (आपराधिक रिकॉर्ड प्रमाणपत्र) या 113बी (संवर्द्धित आपराधिक रिकॉर्ड प्रमाणपत्र) के तहत क्या निकाय द्वारा आवेदनों पर प्रतिहस्ताक्षर करने की संभावना है या 2007 के अधिनियम की धारा 52 (योजना रिकॉर्डों का प्रकटीकरण) या 53 (लघु योजना रिकॉर्डों का प्रकटीकरण) के तहत क्या निकाय द्वारा प्रकटीकरण अनुरोधों के संबंध में घोषणा करने की संभावना है और, यदि ऐसा हो, तो उन प्रश्नों की प्रकृति और उद्देश्य; और

(vii) यदि व्यक्ति एक कॉरपोरेट निकाय हो, तो प्रमुख कार्यकारी और चेयरपर्सन (बशर्ते कि दोनों में से कोई व्यक्ति प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता न हो) का कुलनाम, सभी प्रथमनाम और पदवी।

(ग) यदि व्यक्ति एक वैधानिक कार्यालय–पदधारक हो :

(i) व्यक्ति और किसी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता का कुलनाम, सभी प्रथमनाम और पदवी, कोई पूर्व कुलनाम और प्रथमनाम, घर का पता, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और देश और कोई वर्तमान व्यावसायिक पता, व्यावसायिक टेलीफोन या फैक्स नंबर अथवा ई–मेल पता, जिन्हें संचार–संबंधी उद्देश्यों के लिए स्कॉटिश मंत्रियों को सूचित किया गया हो;

(ii) वह तिथि जब व्यक्ति और किसी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता का नाम रजिस्टर में पहली बार शामिल किया गया था;

(iii) शामिल किए जाने पर व्यक्ति और किसी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट की गई संख्या;

(iv) उन विमुक्त प्रश्नों की प्रकृति तथा उद्देश्य, जिन्हें व्यक्ति द्वारा पूछे जाने की संभावना हो; और

(v) व्यक्ति और किसी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर का एक नमूना।

58. "व्यावसायिक पता" का अर्थ व्यक्ति के व्यवसाय के प्रमुख स्थान के पते से है, लेकिन जहां व्यक्ति के व्यवसाय का प्रमुख स्थान स्कॉटलैंड के बाहर हो और व्यक्ति के व्यवसाय का एक स्थान स्कॉटलैंड में हो, तो स्कॉटलैंड में स्थित व्यवसाय के स्थान का पता भी रजिस्टर में शामिल किया जाएगा।

59. पंजीकृत व्यक्ति या प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता को रजिस्टर में शामिल किए जाने के उद्देश्यों के लिए उस व्यक्ति द्वारा आपूर्ति किए गए ऊपर सूचीबद्ध जानकारी में होने वाले किसी भी बदलाव के ब्योरों के बारे में डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड को लिखित रूप में तर्कसंगत ढंग से व्यवहारिक तौर पर यथाशीघ्र सूचित करना चाहिए। यदि कोई प्रतिहस्ताक्षरकर्ता ब्योरे प्रदान करता है, तो डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड पंजीकृत व्यक्ति या प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता से बदलाव का सत्यापन कर सकता है।

60. पंजीकरण के आवेदकों के लिए रजिस्टर हेतु उपरोक्त वर्णित जानकारी की आपूर्ति करना आवश्यक होगा। विमुक्त प्रश्नों की प्रकृति और उद्देश्य के बारे में जानकारी के संबंध में, आवेदकों को विमुक्त प्रश्नों को पूछे जाने के अपने, या जिनकी ओर से वे आवेदनों पर प्रतिहस्ताक्षर कर रहे होंगे या पीवीजी प्रकटीकरणों के लिए घोषणाएं कर रहे होंगे उनके, आधारों के बारे में और उनके द्वारा जिन प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना हो उनके प्रकारों के बारे में बताना चाहिए (देखें परिशिष्ट क)।

61. रजिस्टर में शामिल किए जाने का अर्थ है कि एक व्यक्ति डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड से प्रकटीकरण जानकारी प्राप्त करने की अर्हता रखता है। पंजीकरण संबंधी ब्योरे गोपनीय होते हैं और डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा अनुमति के बिना या कानूनी प्राधिकरण के बिना किसी भी व्यक्ति को नहीं बताए जा सकते। पंजीकरण का अर्थ यह नहीं है कि डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा उस संगठन का पृष्ठांकन किया गया है और पंजीकृत व्यक्तियों को इसका कोई अन्य अर्थ नहीं निकालना चाहिए और डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड की स्पष्ट सहमति के बिना किसी भी प्रचार, प्रमोशनल या अन्य सामग्री में डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड के लोगो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

62. पंजीकृत व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिहस्ताक्षरकर्ताओं (यदि लागू हो) के पंजीकरण और नामांकन के लिए आवेदन शुल्क और पंजीकरण की निरंतरता के लिए परवर्ती वार्षिक शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। आवश्यक पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं कर पाने के कारण पंजीकरण को निलंबित किया जा सकता है, जिस समय के दौरान किन्हीं भी प्रकटीकरण आवेदनों या अनुरोधों को प्रसंस्कृत नहीं किया जाएगा, जो मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं कर पाने का अंतिम परिणाम पंजीकृत व्यक्ति को रजिस्टर से हटा दिए जाने के रूप में होगा। पंजीकृत व्यक्ति की वार्षिक सदस्यता के बकाया होने से पूर्व, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड, यदि लागू होने योग्य हो, उन्हें सभी वर्तमान प्रतिहस्ताक्षरकर्ताओं की एक संपूर्ण सूची प्रदान करेगा और किसी भी निष्क्रिय प्रतिहस्ताक्षरकर्ता को हटाने का अवसर प्रदान करेगा। यह पंजीकरण संबंधी ब्योरों के ऐसे अन्य किन्हीं क्षेत्रों को अपडेट करने का अवसर देगा जो गलत हों, उदाहरण के लिए, टेलीफोन संपर्क ब्योरे।

63. दिनांक 31 मार्च 2011 तक, पंजीकरण का सिर्फ एक बार लिया जाने वाला शुल्क £150 और इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रतिहस्ताक्षरकर्ता के लिए £10 है। दिनांक 1 अप्रैल 2011 से, सभी नए पंजीकृत व्यक्तियों (साथ ही मौजूदा पंजीकृत व्यक्तियों) को पंजीकरण के लिए एक वार्षिक सदस्यता का भुगतान करना होगा। पहली या निरंतरता पंजीकरण के लिए कम से कम £75 का न्यूनतम वार्षिक शुल्क होगा और यह पंजीकृत व्यक्ति (प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता सहित) और चार प्रतिहस्ताक्षरकर्ताओं तक के पंजीकरण को भी कवर करेगा। सदस्यता वर्ष के दौरान किसी नए प्रतिहस्ताक्षरकर्ता को जोड़ने पर, प्रत्येक के लिए £15 का भुगतान करना होगा, भले ही पंजीकृत व्यक्ति के लिए कितने भी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता मौजूद क्यों न हों। किसी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता को हटाने या पंजीकरण को समाप्त करने का कोई शुल्क नहीं होगा। जहां लागू हो, पांचवे और इसके बाद के प्रत्येक प्रतिहस्ताक्षरकर्ता के लिए वार्षिक रूप से £15 का एक अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

पंजीकरण के लिए कैसे आवेदन करें

64. पंजीकरण के लिए एक प्रकटीकरण पंजीकरण आवेदन प्रपत्र पर लिखित रूप में आवेदन किए जाने चाहिए। आवेदन करने और उचित शुल्कों से संबंधित ब्योरे डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड की वेबसाइट : www.disclosurescotland.co.uk पर उपलब्ध हैं। सभी संभावित पंजीकृत व्यक्तियों को प्रदान किए गए पंजीकरण पैक के साथ भी संपूर्ण ब्योरे दिए जाएंगे।

पहचान

65. पंजीकरण के प्रत्येक आवेदन के साथ डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा मांगे गए पहचान के प्रमाण शामिल किए जाने चाहिए। पंजीकरण पैक के साथ संपूर्ण ब्योरे दिए जाएंगे।

कॉरपोरेट और गैर–इनकॉरपोरेट निकायों के लिए प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता

66. किसी कॉरपोरेट या गैर–इनकॉरपोरेट निकाय के पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिसके पास उस निकाय की ओर से कार्य करने का अधिकार हो। यदि आवेदन सफल हो, तो उस निकाय की ओर से आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को रजिस्टर में शामिल किया जाएगा और उसे प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता के रूप में जाना जाएगा। आवेदन में आवेदन के समर्थन में ऐसी जानकारी भी शामिल होनी चाहिए जिसके लिए डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड ने अनुरोध किया हो।

67. यह सिफारिश की जाती है कि किसी कॉरपोरेट या गैर–इनकॉरपोरेट निकाय के लिए प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता संगठन के अंदर का एक वरिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। इसकी पहचान यह है कि वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास भर्ती करने संबंधी निर्णयों के लिए प्रबंधन संबंधी महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व हों।

68. डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड और संगठन के बीच उस संगठन के पंजीकरण से जुड़े सभी मामलों पर संपर्क का मुख्य बिंदु प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता होगा। प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता प्रकटीकरण आवेदनों और अनुरोधों पर प्रतिहस्ताक्षर कर सकता है लेकिन यह भूमिका अक्सर दैनंदिन आधार पर प्रतिहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा पूरी की जाती है।

69. रजिस्टर पर मौजूद प्रत्येक कॉरपोरेट या गैर–इनकॉरपोरेट निकाय का हमेशा सिर्फ एक प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता होना चाहिए। यदि ऐसे पंजीकृत निकाय का प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता इसे छोड़कर चला जाता है, तो बिना किसी बिलंब के एक प्रतिस्थापन नियुक्त किया जाना चाहिए। यह निरंतर पंजीकरण की स्थिति है। यदि डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड को किसी नए प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता के बारे में सूचित नहीं किया जाता है, तो डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड पंजीकरण को निलंबित कर सकता है या प्रकटीकरण आवेदनों या अनुरोधों पर कार्रवाई करने से इंकार कर सकता है।

70. यदि डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा किसी कॉरपोरेट या गैर–इनकॉरपोरेट निकाय के प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता को रजिस्टर से हटा दिया जाता है, तो बिना किसी बिलंब के एक प्रतिस्थापन नियुक्त किया जाना चाहिए।

71. पंजीकृत व्यक्तियों और प्रतिहस्ताक्षरकर्ताओं को किसी ऐसे प्रकटीकरण आवेदन या अनुरोध पर प्रतिहस्ताक्षर करने या घोषणाएं करने की अनुमति नहीं है जिसमें वे विषय हों। यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति या प्रतिहस्ताक्षरकर्ता को एक प्रकटीकरण की आवश्यकता हो तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड पर पंजीकृत कोई अन्य प्रतिहस्ताक्षरकर्ता उनके प्रकटीकरण आवेदन या अनुरोध प्रपत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करे या कोई घोषणा करे।

प्रकटीकरण जानकारी के इस्तेमाल के संदर्भ में अनिवार्यताएं

प्रकटीकरण जानकारी का निष्पक्ष इस्तेमाल करना

72. प्रकटीकरण जानकारी के प्राप्तकर्ता को निम्न करना चाहिए :

- प्रकट की गई जानकारी को जिन उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है उसके अतिरिक्त उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए;
- प्रकट की गई जानकारी के इस्तेमाल पर डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशा–निर्देश के प्रति सम्मान होना चाहिए; और
- प्रकट की गई जानकारी के विषय–व्यक्ति के खिलाफ किसी भी अपराध–सिद्धि या उद्‌घाटित किए गए अन्य ब्योरों के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए।

73. किसी खास स्थिति या लाइसेंस के लिए भर्ती करने संबंधी निर्णयों में सहायता करने के उद्देश्यों के लिए प्रमाणिक और संवर्द्धित प्रकटीकरण जानकारी को उपलब्ध कराया जाता है। निर्णय लेने के लिए उन्हें किसी एक जानकारी पर निर्भर नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति के पीवीजी योजना के तहत विनियमित कार्य करने पर विचार किया जा रहा हो, तो 1997 के अधिनियम के तहत जारी प्रकट की गई जानकारी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

74. पीवीजी योजना के तहत, भर्ती करने या प्रतिधारण करने संबंधी किसी निर्णय की सूचना देने के लिए किसी संगठन को एक योजना रिकॉर्ड पर समस्त चिकित्सकीय जानकारी का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत किया जाता है। फिर भी, कोई संगठन एक निष्पक्ष, निरंतर और समानुपातिक ढंग से चिकित्सकीय जानकारी के इर्द–गिर्द कोई मानक लागू कर सकता है। मानक की पहचान अग्रिम रूप से की जानी चाहिए और विशिष्ट भूमिका से जोड़ा जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को एक योजना सदस्य बनने या बने रहने की अनुमति हो वह नियमित कार्य करने के लिए अनुपयुक्त नहीं होता है। फिर भी, चिकित्सकीय जानकारी यह संकेत कर सकती है कि वे किसी खास कार्य को करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

75. यदि कोई व्यक्ति बिना किसी तर्कसंगत आधारों के पीवीजी योजना सदस्यता या प्रकटीकरण अनुरोधों के प्रति सहमति देने से इंकार करता है, तो एक संगठन नियमित कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को भर्ती करने या उसका इस्तेमाल करना जारी रखने से इंकार कर सकता है।

76. कोई संगठन डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड से मिलने वाले किसी व्यक्ति के प्रकटीकरण प्रमाणपत्र या रिकॉर्ड का इस्तेमाल कोई निर्णय करने में सहायता लेने के लिए करता है। सामान्यतः यह कार्य हेतु उस व्यक्ति के आवेदन पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का अंग होगा या विनियमित कार्य में उस व्यक्ति को बनाए रखने के बारे में चल रहे आकलन का अंग होगा। संगठन के पास इसे ऐसे किसी भी व्यक्ति को देने की अनुमति नहीं होगी जो अपने दायित्वों की अवधि में इस तक पहुंच पाने के लिए अधिकृत नहीं हो। यदि वे ऐसा करते हैं, तो वे एक अपराध कर रहे होंगे।

77. यदि कोई व्यक्ति स्कॉटलैंड में पीवीजी बच्चों की सूची या वयस्कों की सूची (या दोनों) में सूचीबद्ध किया गया हो, तो उसे यूके में अन्य किसी स्थान पर संगत प्रकार का काम करने की मनाही है। यदि किसी व्यक्ति को इंग्लैंड और वेल्स या उत्तरी आयरलैंड में समतुल्य प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया है तो उसे भी स्कॉटलैंड में बच्चों या सुरक्षित वयस्कों के साथ प्रासंगिक कार्यबल में कार्य करने से रोका जाएगा। नियोक्ता यदि किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसे विनियमित कार्य करने की मनाही हो तो वह एक अपराध करता है, भले ही वह व्यक्ति स्कॉटलैंड में या किसी अन्य यूके अधिकार–क्षेत्र में किसी प्रतिबंधित सूची में हो।

78. अपराध–सिद्धि वाले किसी व्यक्ति के लिए, फायदेमंद रोजगार अक्सर दोबारा अपराध करने से बचाने का सबसे सफल तरीका होता है। इसीलिए स्कॉटिश सरकार यह सुनिश्चित करने के प्रति इच्छुक रहती है कि विश्वास–पदों के लिए विचार करने की प्रक्रिया में समुदाय के ऐसे सदस्यों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाए जिन पर अपराध–सिद्धि हो सकती है।

79. यह सिफारिश की जाती है कि नियोक्ता के पास अपराध–सिद्धि वाले लोगों की भर्ती करने के संबंध में एक लिखित नीति हो। डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड के पास एक नमूना नीति है और यह डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड की वेबसाइट www.disclosurescotland.co.uk से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

प्रकट की गई जानकारी को संभालना

80. प्रकट की गई जानकारी को पाने वाले पंजीकृत व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों को जिम्मेदारी के साथ इस संवेदनशील जानकारी को संभालना चाहिए। इसका अर्थ है कि उन्हें जानकारी को 1997 के अधिनियम की धारा 124[9] या 2007 के अधिनियम की धारा 66 या 67 का उल्लंघन करके प्रकट नहीं करना चाहिए। अनधिकृत प्रकटीकरण एक अपराध है। यदि जानकारी को तृतीय पक्षों के साथ साझा करने के संबंध में प्रकटीकरण के विषय–व्यक्ति की लिखित सहमति प्राप्त की गई हो तो कोई अपराध नहीं होता।

81. किसी पंजीकृत व्यक्ति को 1997 के अधिनियम की धारा 113बी(5) के तहत आपूर्ति की गई ऐसी जानकारी, जिसे संवर्द्धित प्रकटीकरण पर नहीं दर्शाया गया हो, को किसी तृतीय पक्ष या संवर्द्धित प्रकटीकरण के विषय–व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करना चाहिए।

82. प्रकटीकरण जानकारी को किसी संगठन के अंदर सिर्फ उन व्यक्तियों द्वारा ही संभाला जाना चाहिए जो अपने दायित्वों की अवधि में इस तक पहुंच पाने के लिए अधिकृत हों। इन व्यक्तियों को भी संहिता की स्थितियों का अनुपालन करना चाहिए।

83. पंजीकृत व्यक्तियों के पास प्रकटीकरण जानकारी को संभालने, रखने और नष्ट करने के संबंध में एक लिखित सुरक्षा नीति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों की ओर से आवेदनों पर प्रतिहस्ताक्षर करते हैं या प्रकटीकरण अनुरोधों पर घोषणाएं करते हैं, उन्हें भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिनकी ओर से वे प्रतिहस्ताक्षर या घोषणाएं करते हैं उनके पास ऐसी लिखित नीति हो। डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड के पास एक नमूना नीति उपलब्ध है और इसे डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड की वेबसाइट www.disclosurescotland.co.uk से डाउनलोड किया जा सकता है।

84. 1997 का अधिनियम और 2007 का अधिनियम, दोनों ही प्रकटीकरण जानकारी के गैर–कानूनी इस्तेमाल से संबंधित कुछ अपराधों के बारे में बताते हैं। 1997 के अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों के ब्योरे परिशिष्ट ख में और 2007 के अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों के ब्योरे परिशिष्ट ग में दिए गए हैं।

85. ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जहां प्रकटीकरण जानकारी रखने वाले व्यक्ति से कानूनी कार्यवाहियों के संबंध में किसी तृतीय पक्ष के सामने जानकारी के ब्योरे उजागर करने को कहा जाए, उदाहरण के लिए, रोजगार ट्रिब्यूनल में दाखिल किए गए किसी मामले में। ऐसी स्थिति में, पंजीकृत व्यक्ति को तुरंत डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड को ऐसे किसी भी अनुरोध के बारे में और किसी भी जानकारी को जारी करने से पहले सूचित करना चाहिए।

86. 2007 का अधिनियम ऐसे तृतीय पक्षों के लिए किसी योजना सदस्य से उनके प्रकटीकरण रिकॉर्ड को दिखाने का अनुरोध करने की मनाही करता है जो विनियमित कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः रोजगार नहीं दे रहे हों, या रोजगार देने पर विचार नहीं कर रहे हों। लेकिन इसका अपवाद तब हो सकता है जबकि शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संगठन किसी तृतीय पक्ष संगठन को बच्चों या सुरक्षित वयस्कों के लिए परिवहन सेवाएं प्रदान करने हेतु अनुबंधित कर रहे हों।

87. दि प्रोटेक्शन ऑफ वलनरेबल ग्रुप्स (स्कॉटलैंड) अधिनियम 2007 (योजना रिकॉर्डों के लिए गैर–कानूनी अनुरोध) (बताई गई परिस्थितियां) विनियम 2010 (एसएसआई 2010/194) बताता है कि संगठन, जब बच्चों या सुरक्षित वयस्कों के लिए परिवहन सेवाएं प्रदान करने हेतु किसी अनुबंधकर्ता का इस्तेमाल कर रहा हो तो वह, ऐसे किसी भी कर्मचारी के लिए प्रकटीकरण रिकॉर्ड दिखाने को कह सकता है जिसका इस्तेमाल अनुबंधकर्ता सेवाएं प्रदान करने के लिए करना चाहता हो। ये संगठन हैं : कोई काउंसिल, स्कूल, शैक्षणिक संस्थापन, स्वास्थ्य निकाय, स्वतंत्र अस्पताल, निजी मनोशास्त्रीय अस्पताल, स्वतंत्र क्लीनिक या स्वतंत्र चिकित्सा एजेंसी। अनुबंधकर्ता नियुक्त करने वाले संगठन को प्रकटीकरण रिकॉर्ड सिर्फ तभी दिखा सकता है जबकि संबंधित कर्मचारी ने लिखित रूप में अपने नियोक्ता को अपनी सहमति दी हो। सहमति स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए और इसके लिए उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। नियोक्ता को इस लिखित सहमति की एक प्रतिलिपि रखनी चाहिए। डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड इस व्यवस्था में शामिल नहीं है।[10]

88. प्रकटीकरण जानकारी को सुरक्षित स्थितियों में भंडारित किया जाना चाहिए। दस्तावेजों को ताला लगाए जाने योग्य और दूसरी जगह नहीं ले जाए जा सकने योग्य भंडारण इकाइयों में रखा जाना चाहिए। ऐसी भंडारण इकाइयों की चाबियां किसी संगठन के भीतर मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं होनी चाहिए और भंडारित सामानों वाली भंडारण इकाइयों तथा कक्षों तक सिर्फ नामित व्यक्तियों की ही पहुंच होनी चाहिए। प्रकटीकरण जानकारी को किसी कर्मचारी की कर्मी फाइल में नहीं रखा जाना चाहिए। सावधानी इस तरह बरतनी चाहिए, कि एक बार इलेक्ट्रॉनिक प्रकटीकरण जानकारी उपलब्ध हो जाने पर, उसे अनधिकृत रूप से देखना, संप्रेषित करना, भंडारित या मुद्रित करना संभव नहीं हो।

---

[9] गंभीर संगठित अपराध तथा पुलिस अधिनियम 2005 की अनुसूची 14, पैराग्राफ 12 संशोधित धारा 124

[10] अधिक जानकारी के लिए, *अरक्षित समूहों हेतु सुरक्षा योजना : व्यक्तियों, संगठनों और निजी कर्मचारियों के लिए दिशा–निर्देश,* दि स्कॉटिश गवर्मेंट, जून 2010।

89. जिन पंजीकृत व्यक्तियों या संगठनों के अधिकार में प्रकटीकरण जानकारी है उन्हें ऐसी जानकारी को अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक समय से अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए। संगठनों को हमेशा डेटा सुरक्षा अधिनियम 1998 का अनुपालन करने की आवश्यकता के प्रति सचेत रहना चाहिए जिसके अनुसार जानकारी को सिर्फ तब तक रखा जाना चाहिए जब तक कि इसकी उन उद्देश्यों के लिए आवश्यकता हो जिसके लिए इसे प्राप्त किया गया था। यह नियुक्त करने या अन्य प्रासंगिक निर्णय लेने की तिथि हो सकती है, या फिर प्रकटीकरण जानकारी की सटीकता के बारे में किसी विवाद[11] के हल हो जाने के बाद की तिथि हो सकती है। पीवीजी प्रकटीकरण रिकॉर्डों के लिए यह ऐसी तिथि हो सकती है जब कोई व्यक्ति उस संगठन के लिए विनियमित कार्य को करना बंद कर दे।

90. फिर भी, जहां प्रकटीकरण जानकारी को किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य संगठन की ओर से प्राप्त किया गया हो, वहां जिसकी ओर से इसे प्राप्त किया गया था उनके सामने इसे प्रकट कर दिए जाने के बाद उस पंजीकृत व्यक्ति को प्रकटीकरण जानकारी को नहीं रखना चाहिए।

91. इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकने वाला नमूना ट्रैकिंग दस्तावेज डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड की वेबसाइट www.disclosurescotland.co.uk में उपलब्ध है। इस जानकारी की आवश्यकता बाद में पड़ सकती है, उदाहरण के लिए, किसी देखभाल सेवा के पंजीकरण के दौरान। यह सिफारिश भी की जाती है कि एक स्पष्ट लेखा–परीक्षण ब्योरे के उद्देश्यों के लिए उन सभी व्यक्तियों का एक लिखित रिकॉर्ड रखा जाए जिनके पास से प्रकटीकरण जानकारी गुजरी हो।

92. सभी प्रकार की प्रकटीकरण जानकारी को उचित सुरक्षित माध्यमों से नष्ट किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, चिथड़े करना, लुग्दी में बदल देना या जला देना। नष्ट करने की प्रतीक्षा के दौरान इसे किसी भी असुरक्षित स्थान, जैसे कि कचरापेटी या गोपनीय कचरा स्थल, पर नहीं रखा जाना चाहिए। प्रकटीकरण जानकारी की किसी फोटोप्रतिलिपि या अन्य छवि को नहीं रखा जा सकता है।

आश्वासन और लेखा–परीक्षण

93. प्रकटीकरण जानकारी के प्राप्तकर्ताओं के लिए यह संहिता यह आवश्यक बनाती है कि :

- वे डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड के अनुरोध पर प्रकटीकरण जानकारी को संभालने, रखने और नष्ट करने के अपने कार्यों का एक लेखा–परीक्षण करें।

94. यह निम्न रूप में हो सकता है :

- एक स्व–आकलन पूरा करना जिसे डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा निश्चित समय–अंतरालों पर पंजीकृत व्यक्तियों को जारी किया जाएगा। इस प्रपत्र में प्रश्न होंगे, जिनका जवाब दिए जाने पर, यह निर्धारित करने में डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड की सहायता करेंगे कि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा संहिता और कानून का पालन किया गया है;
- किसी भी अनुपालन जांच (लेखा–परीक्षणों) के दौरान डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड के स्टाफ के साथ सहयोग करना, जिसमें किसी पंजीकृत व्यक्ति के परिसर पर की जाने वाली मुलाकातें शामिल हैं, ताकि डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड संतुष्ट हो सके कि प्रकटीकरण जानकारी को प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्रदान की गई जानकारी का इस्तेमाल संहिता और कानून के अनुसार कर रहे हैं;
- संहिता का अनुपालन करने में असफल रहने के किसी भी साक्ष्य के बारे में डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड को सूचित करना, चाहे यह स्वयं उनकी तरफ से हुई हो या फिर किसी अन्य पक्ष की ओर से; और
- 1997 के अधिनियम की धारा 123 और 124[12] (देखें परिशिष्ट ख) या 2007 के अधिनियम की धारा 65 और 67 (देखें परिशिष्ट ग) के तहत किसी अपराध के होने के किसी भी तर्कसंगत संदेह के बारे में डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड को सूचित करना।

95. अनुपालन लेखा–परीक्षणों के संचालन में, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड, विशेषकर, निम्न करेगा :

- यह सुनिश्चित करेगा कि प्रकटीकरण की सुरक्षा और प्रतिधारण के संदर्भ में पंजीकृत व्यक्तियों की अनिवार्यताओं को पूरा किया गया है;
- यह पुष्टि करेगा कि पंजीकृत व्यक्ति उचित प्रकार के प्रकटीकरण आवेदन या अनुरोध कर रहे हैं;
- यह पुष्टि करेगा कि डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा प्रदान की गई प्रकटीकरण जानकारी का इस्तेमाल गलत ढंग से किसी भी व्यक्ति का नुकसान करने के लिए नहीं किया जा रहा है;

---

[11] डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड की वेबसाइट www.disclosurescotland.co.uk पर विवादों/अपीलों की प्रक्रिया के ब्योरे उपलब्ध हैं।

[12] गंभीर संगठित अपराध तथा पुलिस अधिनियम 2005 की अनुसूची 14, पैराग्राफ 12 1997 के अधिनियम की धारा 124 संशोधित धारा 124

- पंजीकृत व्यक्तियों को प्रकटीकरण जानकारी के संबंध में अच्छा कार्य–अभ्यास करने की सलाह देगा; और
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करेगा जो अब प्रकटीकरण अनुरोधों पर आवेदनों में प्रतिहस्ताक्षर करने या घोषणाएं करने की इच्छा नहीं रखते (संभवतः इसलिए क्योंकि वे अब संगठन के लिए कार्य नहीं करते या उनकी भूमिकाएं बदल गई हैं और अब प्रकटीकरणों संबंध कार्रवाइयों में उनकी कोई भूमिका नहीं रह गई है)।

96. प्रकटीकरण के विषय–व्यक्ति रहे व्यक्तियों की ओर से या जनसाधारण के सदस्यों की ओर से पंजीकृत व्यक्तियों या प्रकटीकरण के प्राप्तकर्ता व्यक्तियों के आचरण के बारे में शिकायतें मिलने के बाद, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड पंजीकृत व्यक्तियों का अनुपालन लेखा–परीक्षण करा सकता है, जिसमें संगठनों में जाकर मुलाकात करना शामिल हो सकता है। किसी पंजीकृत व्यक्ति, किसी प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता या किसी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता के अनुरोध पर भी अनुपालन लेखा–परीक्षण संचालित किया जा सकता है, बशर्ते कि उस व्यक्ति को यकीन हो कि उन्होंने या उनके संगठन में स्थित किसी व्यक्ति ने संहिता का उल्लंघन किया है या कर सकता है। ऐसी स्थितियों में, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड यह निर्धारित करेगा कि कोई अनुपालन लेखा–परीक्षण किया जाएगा या नहीं।

97. डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड सामान्यतः अनुपालन लेखा–परीक्षणों की पूर्व–व्यवस्था करेगा। फिर भी, यह बिना किसी घोषणा के आधार पर ऐसा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड अनुपालन लेखा–परीक्षण के विषय–व्यक्ति बने व्यक्तियों को, संस्तुतियों सहित, लिखित रिपोर्टें प्रदान करेगा, जहां उपयुक्त हो। पंजीकृत व्यक्ति को जारी की गई रिपोर्ट में अनिवार्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं। इन अनिवार्य आवश्यकताओं को सहमति–सम्पन्न समय–बिंदुओं पर पूरा किया जाना चाहिए। डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड और भी अनुपालन लेखा–परीक्षण करा सकता है ताकि इस बात का सत्यापन हो सके कि पूर्व में किए गए अनुपालन लेखा–परीक्षण के परिणामस्वरूप दी गई किन्हीं भी संस्तुतियों को लागू किया गया है। यदि कोई अनुपालन लेखा–परीक्षण यह संकेत करती है कि कोई अपराध हुआ हो सकता है, तो डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड पुलिस में इसकी रिपोर्ट करेगी।

पहचान

व्यक्ति की पहचान

98. पदों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों या पहले से नियुक्त व्यक्तियों, उदाहरण के लिए, पीवीजी योजना में पहली बार शामिल होने वाले व्यक्तियों, की पहचान के बारे में नियोक्ताओं को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए। हालांकि डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड अपनी स्वयं की पहचान जांचें संचालित करेगा, फिर भी इन्हें संगठनों और नियोक्ताओं द्वारा की जाने वाली जांचों से संपूरित किया जाना चाहिए। डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड के पास उस प्रकार के दस्तावेजों का रिकॉर्ड हो सकता है जिन्हें पहचान संबंधी उद्देश्यों के लिए देखा गया था, फिर भी यह सिफारिश की जाती है कि, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा आगे की जाने वाली पूछताछ की स्थिति में, नियोक्ताओं को पहचान संबंधी की गई जांचों के ब्योरे रखने चाहिए।

99. प्रकटीकरण आवेदनों या अनुरोधों पर प्रतिहस्ताक्षर या घोषणा करने वाले व्यक्तियों द्वारा भर्ती प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों से पहचान के दस्तावेजी साक्ष्य मांगने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पहचान का समर्थन करने वाली जानकारी के **तीन** हिस्से देने का अनुरोध करने की आवश्यकता होती है। जहां भी संभव हो, इनमें से एक तस्वीर (उदाहरण के लिए, एक वर्तमान पासपोर्ट, नई शैली का यूके का ड्राइविंग लाइसेंस, एक यंग स्कॉट कार्ड या नेशनल एण्टाइटिलमेंट कार्ड, आदि) होनी चाहिए। पते से संबंधित साक्ष्य के एक मद में व्यक्ति का नाम और पता होना चाहिए और व्यक्ति की जन्मतिथि की पुष्टि के लिए एक मद प्रदान करने का अनुरोध भी किया जा सकता है। तस्वीर युक्त साक्ष्य का अभाव होने पर, जन्मतिथि की पुष्टि करने वाला एक संपूर्ण जन्म प्रमाणपत्र हाल ही में जारी की गई एक प्रतिलिपि से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। समर्थन प्रदान करने वाली जानकारी और अपने आवेदन या अनुरोध में व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई जानकारी के बीच संगतता उनकी पहचान में उच्च स्तर का आत्मविश्वास प्रदान करती है।

100. जहां कोई व्यक्ति यह दावा करता/करती है कि विवाह के कारण उसका नाम बदल गया है, तो नियोक्ता को कॉमन लॉ रिलेशनशिप्स या अन्य किसी प्रणाली के जरिए इस प्रकार के बदलाव का साक्ष्य तलाश करना चाहिए।

101. डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा जारी किए गए एक प्रकटीकरण प्रमाणपत्र या रिकॉर्ड को पहचान का साक्ष्य नहीं माना जाना चाहिए।

यूके से बाहर पैदा हुए या यूके से बाहर रहे व्यक्ति

102. जो व्यक्ति यूके से बाहर पैदा हुए या रहे हों उनकी नियुक्ति के संबंध में दो मसलों पर विचार किया जाता है : पहला मसला उस व्यक्ति की पहचान से संबंधित है और दूसरा उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करने से संबंधित है।

103. व्यक्ति की पहचान के संदर्भ में, नियोक्ताओं को भर्ती प्रक्रिया के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संदर्भों का फॉलोअप करते हैं और नियुक्ति करने से पहले अन्य प्रासंगिक जांचें करते हैं। उपरोक्त वर्णित जानकारी पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विदेशी दस्तावेजों से संबंधित मसला होगा। सेंटर फॉर दि प्रोटेक्शन ऑफ दि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर (सीपीएनआई) की वेबसाइट www.cpni.gov.uk पर उपयोगी जानकारी है जो सहायक हो सकती है।

104. यूके में आवास का इतिहास नहीं होने या बहुत कम होने की स्थिति में, पंजीकृत व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए एक आपराधिक रिकॉर्ड जांच का अनुरोध भी कर सकते हैं। हालांकि 2007 अधिनियम के तहत ऐसे किसी व्यक्ति के लिए एक प्रकटीकरण प्राप्त करना बहुत सीमित महत्व का लग सकता है, लेकिन वह व्यक्ति एक योजना सदस्य बन जाएगा और निरंतर अपडेट प्रदान करने के अधीन होगा जो यह आश्वासन प्रदान करेगा कि व्यक्ति विनियमित कार्य से प्रतिबंधित नहीं है और यदि प्रतिबंधित वाली स्थिति में बदलाव आता है तो पंजीकृत व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।

105. डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड 1997 और 2007 के अधिनियमों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वाह करता है। वर्तमान में, युनाइटेड किंगडम के बाहर स्थित आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी जानकारी तक डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड की कोई पहुंच नहीं है। यूके सरकार की साझीदारी में स्कॉटिश सरकार अन्य देशों में स्थित आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है।

106. नियोक्ता संभावित कर्मचारियों और स्टाफ के मौजूदा सदस्यों से कह सकता है कि वे अपने जन्म या निवास के देश में स्थित अपनी सरकार या किसी उपयुक्त सरकारी/पुलिस एजेंसी से एक आपराधिक रिकॉर्ड प्रमाणपत्र प्रदान करें, जहां उपलब्ध हो। इस सेवा की उपलब्धता के संबंध में इंग्लैंड स्थित सीआरबी द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध है। इस तक www.crb.homeoffice.gov.uk से पहुंचा जा सकता है।

107. यह सुझाव दिया जाता है कि पिछले निवास के अपने गृह देश या देशों से अपने आपराधिक अपराध–सिद्धि के इतिहास के ब्योरे प्रदान करने का दायित्व उसी व्यक्ति को दिया जाए। लेकिन, इसे याद रखा जाए कि इन्हें प्रासंगिक भाषा से अंग्रेजी में अनूदित कराने की आवश्यकता हो सकती है और इनमें ऐसे अपराधों के ब्योरे हो सकते हैं जो स्कॉट्स कानून के प्रत्यक्ष समतुल्य या मिलते–जुलते अपराध नहीं हों। इस प्रक्रिया में डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड की कोई भूमिका नहीं है और किन्हीं भी अतिरिक्त खर्चों को उस व्यक्ति या नियोक्ता द्वारा उठाना होगा। सीपीएनआई की वेबसाइट पर कुछ खास दूसरे देशों के बारे में उपयोगी जानकारी है।

प्रकटीकरण में शामिल जानकारी पर विचार करना

प्रकटीकरण जानकारी पर विचार करते समय ध्यान देने योग्य बातें

108. भर्ती करने वालों या नियोक्ताओं को निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए :

- प्रकटीकरण से उजागर हुई अपराध–सिद्धि या अन्य मामले विचाराधीन प्रश्न के लिए प्रासंगिक हैं या नहीं;
- उजागर हुए किसी भी अपराध–सिद्धि या अन्य मामले(लों) की प्रकृति;
- क्या उस व्यक्ति को खास अरक्षित समूहों के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है;
- अपराध–सिद्धि या अन्य प्रासंगिक मामले(लों) के घटने के बाद गुजरा समय;
- क्या उस व्यक्ति के आपराधिक आचरण या अन्य प्रासंगिक मामलों का कोई निश्चित पैटर्न (दोहराव) है; और
- आपराधिक व्यवहार या अन्य प्रासंगिक मामलों के बाद से क्या उस व्यक्ति की स्थितियों में बदलाव आया है।

109. पीवीजी योजना के संदर्भ में, 2007 के अधिनियम की धारा 34 किसी ऐसे व्यक्ति का किसी भी विनियमित कार्य के लिए काम करने, या काम तलाशने या काम करने पर सहमत होने को एक अपराध बनाती है जिसे इसके लिए प्रतिबंधित किया गया हो। इसके अतिरिक्त, 2007 के अधिनियम की धारा 35 किसी संगठन द्वारा (2007 के अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार इसमें किसी व्यवसाय की अवधि में कार्य कर रहे व्यक्ति भी शामिल हैं) किसी ऐसे व्यक्ति को विनियमित कार्य करने की पेशकश देने को अपराध ठहराती है जिसे उस प्रकार के विनियमित कार्य से प्रतिबंधित किया गया हो। अरक्षित समूहों (स्कॉटलैंड) की सुरक्षा अधिनियम 2007 (विनियमित कार्य से प्रतिबंधित व्यक्तियों को हटाना) विनियम 2010 (एसएसआई 2010/244) बताता है कि जब किसी संगठन के लिए कोई ऐसा व्यक्ति विनियमित कार्य कर रहा है जिसके बारे में 2007 के अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किए जाने की सूचना दी गई हो, तो उस संगठन को ऐसे विनियमित कार्य को करने की अनुमति देने के लिए उस व्यक्ति को मना कर देना चाहिए और उस व्यक्ति को उस विनियमित कार्य से हटा देना चाहिए। किसी संगठन द्वारा इन विनियमों का अनुपालन करने में हुई नाकामी एक अपराध है। एक प्रतिबंधित व्यक्ति पीवीजी योजना में इस प्रकार के विनियमित कार्य के लिए भागीदारी नहीं कर सकता है जिन्हें करने से उसे प्रतिबंधित किया गया हो। यदि व्यक्ति प्रतिबंधित नहीं है, तो संगठन को यह निर्णय करना चाहिए कि वह व्यक्ति उस पद के लिए उपयुक्त है या नहीं।

प्रकटीकरणों की वैधता

110. प्रासंगिक जांचों के पूरा होने की तिथि तक सभी प्रकटीकरण जानकारी को अद्यतन माना जाता है।

111. यदि संगठन अपने भर्ती और लाइसेंसिग संबंधी उद्देश्यों के लिए 1997 के अधिनियम के तहत प्रमाणिक और संवर्द्धित प्रकटीकरणों का इस्तेमाल करता है तो यह संस्तुति की जाती है कि प्रत्येक नई भर्ती करने के लिए या किसी व्यक्ति को किसी अन्य पद पर रखते समय एक नया प्रकटीकरण मांगा जाना चाहिए।

112. पीवीजी योजना के सदस्य निरंतर अपडेट करने के अधीन होते हैं और ऐसी कोई भी नई चिकित्सकीय जानकारी, जो यह बताती है कि वे संगत प्रकार के विनियमित कार्य करने के लिए अनुपयुक्त हो सकते हैं, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा पूरी की जाएगी। डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों और विनियामक निकायों का एक रिकॉर्ड रखेगा जिन्होंने किसी व्यक्ति में किसी दिलचस्पी को पंजीकृत किया है, सामान्यतः एक पीवीजी प्रकटीकरण आवेदन या अनुरोध पर प्रतिहस्ताक्षर करके। यदि उस व्यक्ति को नई चिकित्सकीय जानकारी के परिणामस्वरूप (या किसी अन्य कारण के लिए) सूची में रखने या प्रतिबंधित करने के लिए विचाराधीन रखा गया है, तो समस्त इच्छुक संगठनों को उस तथ्य के बारे में सूचित किया जाएगा। इसका अर्थ है कि ऐसे संगठनों के लिए पीवीजी योजना के सदस्यों की निश्चित समय अंतराल पर पुनः जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी, कुछ संगठन योजना रिकॉर्ड अपडेट्स का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करना चाह सकते हैं कि ऐसी कोई नई चिकित्सकीय जानकारी प्रकाश में नहीं आई है जो, हालांकि सामान्यतः इसका अरक्षित समूहों के साथ कार्य करने की अनुपयुक्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस विशिष्ट पद के लिए प्रासंगिक हो सकती है (जैसे कि ऐसे व्यक्तियों के गाड़ी चलाने से संबंधित अपराध–सिद्धि जिनकी भूमिका बच्चों या सुरक्षित वयस्कों के लिए गाड़ी चलाने की है)।

विवाद

113. यदि प्रकटीकरण के विषय–व्यक्ति को भरोसा है कि इसमें गलत जानकारी हो सकती है तो वह डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड के साथ कोई विवाद कर सकता/सकती है। यदि डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड जांच करने के बाद इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि मूल प्रकटीकरण में गलत जानकारी है तो वे एक नया प्रकटीकरण प्रदान करेंगे। पुनः जारी किए गए किसी भी प्रमाणिक या संवर्द्धित प्रकटीकरण या पीवीजी प्रकटीकरण रिकॉर्ड की उस व्यक्ति के लिए प्रतिलिपि की जाएगी जिसने आवेदन या अनुरोध पर प्रतिहस्ताक्षर किए हों। विवाद/अपील प्रक्रिया के ब्योरे डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड की वेबसाइट www.disclosurescotland.co.uk पर उपलब्ध हैं।

पंजीकरण को बर्खास्त करना

किसी पंजीकृत व्यक्ति या किसी प्रतिहस्ताक्षरकर्ता की ओर से स्वयं को रजिस्टर से हटाने का अनुरोध

114. एक पंजीकृत व्यक्ति (जो किसी व्यवसाय की अवधि में अन्य लोगों को रोजगार देता है), जिसका यह विचार है कि वे अब पीवीजी प्रकटीकरण अनुरोधों के संबंध में प्रमाणिक या संवर्द्धित प्रकटीकरणों के लिए आवेदनों पर प्रतिहस्ताक्षर करने या घोषणाएं करने की इच्छा नहीं रखते हैं, उसे रजिस्टर से स्वयं को हटाए जाने के लिए कहना चाहिए। ऐसे अनुरोध को डिस्क्लोज़र रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन फॉर्म के उपयुक्त हिस्सों को भरकर, तथा भरे हुए फॉर्म को डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड के पास दाखिल करके किया जाना चाहिए। इस अनुरोध का प्रभाव संपूर्णता में इसका पंजीकरण समाप्त होने के रूप में होगा।

115. जो पंजीकृत व्यक्ति एक कॉरपोरेट या गैर–इनकॉरपोरेट निकाय हैं, या एक वैधानिक कार्यालय–पदधारक हैं, उन्हें डिस्क्लोज़र रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन फॉर्म के उपयुक्त हिस्सों को भरकर रजिस्टर से स्वयं को हटाने के लिए अनुरोध करना चाहिए। फॉर्म में उचित स्थान पर प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए। इस अनुरोध का प्रभाव संपूर्णता में इसका पंजीकरण समाप्त होने के रूप में होगा।

116. इससे अलग, एक प्रतिहस्ताक्षरकर्ता स्वयं को रजिस्टर से हटाए जाने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध में प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए और इसके प्रभावस्वरूप भविष्य में उस पंजीकृत निकाय की ओर से उस प्रतिहस्ताक्षरकर्ता के कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी।

डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा किसी पंजीकृत व्यक्ति को रजिस्टर से हटाना

117. डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड ऐसे किसी भी व्यक्ति को रजिस्टर से हटा सकता है जो, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड की राय में, अब पीवीजी प्रकटीकरण अनुरोधों के संबंध में प्रमाणिक या संवर्द्धित प्रकटीकरणों के लिए आवेदनों पर प्रतिहस्ताक्षर करने या घोषणाएं करने की इच्छा नहीं रखता। रजिस्टर से किसी व्यक्ति को हटाने से पहले, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड को लिखित रूप में उस व्यक्ति को कि अपनी राय, इस राय के कारणों के बारे में सूचित करना चाहिए और उस व्यक्ति को प्रतिवेदन करने के अधिकार के बारे में सूचित करना चाहिए।

118. जिस व्यक्ति को इस प्रकार से सूचित किया गया हो वह, ऐसी सूचना प्राप्त होने के 28 दिनों के अंदर, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड के पास लिखित रूप में प्रतिवेदन कर सकता है कि उस व्यक्ति को रजिस्टर से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए और डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड को ऐसे किसी भी प्रतिवेदनों पर विचार करना चाहिए।

119. ऐसे प्रतिवेदनों पर विचार करने के बाद, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा पंजीकृत व्यक्ति को सूचित किया जाना चाहिए :

- कि उनकी यह राय है कि वह व्यक्ति अब पीवीजी प्रकटीकरण अनुरोधों के संबंध में प्रमाणिक या संवर्द्धित प्रकटीकरणों के लिए आवेदनों पर प्रतिहस्ताक्षर करने या घोषणाएं करने की इच्छा नहीं रखता और इस राय के कारण बताने चाहिए और यह कि उस व्यक्ति को अगले 28 दिनों की अवधि के समाप्त होने पर रजिस्टर से हटा दिया जाएगा; या

- कि वे अब कोई आगामी कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं रखते।

120. यदि 28 दिन के अंदर कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो इस समय–अवधि की समाप्ति पर डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड उस व्यक्ति को रजिस्टर से हटा सकता है। वह व्यक्ति 28 दिन की समय–अवधि के गुजर जाने के बाद[13] किसी भी समय रजिस्टर में पुनः शामिल होने के लिए, यदि आवश्यकता हो, उपयुक्त शुल्क का भुगतान करके आवेदन कर सकता है।

121. किसी पंजीकृत व्यक्ति (किसी पंजीकृत निकाय के अतिरिक्त) या उनके द्वारा नामित किसी नामित व्यक्ति की स्थिति में डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड संतुष्ट होता है कि वह व्यक्ति मर चुका है या किसी अन्य कारण से पीवीजी प्रकटीकरण अनुरोधों के संबंध में प्रमाणिक या संवर्द्धित प्रकटीकरणों के लिए आवेदनों पर प्रतिहस्ताक्षर करने या घोषणाएं करने में असमर्थ है, तो उन्हें उपरोक्त वर्णित प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती और वे उस व्यक्ति को रजिस्टर से हटा सकते हैं।

[13] पुलिस अधिनियम 1997 (क्रिमिनल रिकॉर्ड्स) (पंजीकरण) (स्कॉटलैंड) विनियम 2010 का विनियम 11(1) इसके लिए प्रावधान करता है।

प्रकटीकरण जानकारी तक पहुंच बनाने के लिए उपयुक्त नहीं समझे जाने वाले व्यक्ति

122. 1997 के अधिनियम की धारा 120ए के तहत, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड किसी व्यक्ति को, 1997 के अधिनियम की धारा 120 के तहत रखे गए, रजिस्टर में शामिल करने से इंकार कर सकता है या उसे रजिस्टर से हटा सकता है यदि, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड की राय में, उस व्यक्ति के पंजीकरण से यह आशंका हो कि जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध हो जाएगी (या उपलब्ध हो गई है) जो जानकारी तक पहुंच बनाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। जब पंजीकरण से इंकार कर दिया जाता है या यह निरस्त हो जाता है तो पालन की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में पंजीकरण विनियमों के विनियम 6 में बताया गया है।[14]

123. पंजीकरण विनियमों में बताए गए ढंग से सूचित कोई भी व्यक्ति, ऐसी सूचना मिलने के 28 दिनों के अंदर, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड के सामने लिखित रूप में प्रतिवेदन कर सकता है कि डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड को क्यों उस व्यक्ति को रजिस्टर में शामिल करने से इंकार नहीं करना चाहिए या उसे रजिस्टर से नहीं हटाना चाहिए। डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड ऐसे किसी भी प्रतिवेदनों पर विचार करेगा।

124. ऐसे प्रतिवेदनों पर विचार करने के बाद, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड को उस व्यक्ति को सूचित करना चाहिए :

- कि उनकी राय है कि उन्हें उस व्यक्ति को रजिस्टर में शामिल करने से इंकार कर देना चाहिए, या उस व्यक्ति को रजिस्टर से हटा देना चाहिए, और इस राय के कारण बताने चाहिए; या
- कि वे उस व्यक्ति को रजिस्टर में शामिल करने से इंकार करने, या उस व्यक्ति को रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

125. यदि 28 दिनों के अंदर कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो उस अवधि के समाप्त होने पर डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड उस व्यक्ति को रजिस्टर में शामिल करने से इंकार करने, या उस व्यक्ति को रजिस्टर से हटाने की प्रक्रिया कर सकता है।

126. यदि प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं और डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड व्यक्ति को रजिस्टर में शामिल किए जाने से इंकार करने, या उस व्यक्ति को रजिस्टर से हटाने का निर्णय लेता है, तो वह अवधि जिसके अंदर उस निर्णय को लागू किया जाना होता है उनके प्रतिवेदनों के बारे में डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड के विचारों के परिणामों की सूचना की प्राप्ति के दिन से आरंभ होने वाले अगले 28 दिनों की समय–अवधि के समाप्त होने तक होती है।

127. कोई भी व्यक्ति रजिस्टर में शामिल होने का अनुरोध नहीं कर सकता यदि डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड ने, उनके द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तिथि से दो वर्ष पहले की अवधि के अंदर, उस व्यक्ति को इस अधार पर रजिस्टर में शामिल करने से इंकार कर दिया हो, या उस व्यक्ति को रजिस्टर से हटा दिया हो कि जानकारी ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध हो सकती है या हो गई थी जो प्रकटीकरण जानकारी तक पहुंच बनाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं था।

128. पंजीकरण विनियमों के विनियम 4(3) के तहत, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड एक प्रतिहस्ताक्षरकर्ता के रूप में किसी व्यक्ति के नामांकन को स्वीकार करने से इंकार कर सकता है, या स्वीकार करना जारी रख सकता है, यदि, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड की राय में, वह व्यक्ति कॉरपोरेट या गैर–इंकॉरपोरेट निकाय अथवा संबंधित वैधानिक कार्यालय–पदधारक, जिसने उस व्यक्ति को नामांकित किया है, के पंजीकरण के फलस्वरूप उपलब्ध हो गई, या उपलब्ध होने की संभावना वाली जानकारी तक पहुंच बनाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड रजिस्टर में किसी व्यक्ति को शामिल किए जाने से इंकार कर सकता है, या स्वीकार करना जारी रख सकता है यदि उनके पंजीकरण के परिणामस्वरूप जानकारी किसी अनुपयुक्त व्यक्ति को उपलब्ध हो जाने की आशंका हो। जब पंजीकरण से इंकार कर दिया जाता है या यह निरस्त हो जाता है तो पालन की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में पंजीकरण विनियमों के विनियम 4 में बताया गया है।

129. पंजीकरण विनियमों के लिए यह आवश्यक है कि डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड द्वारा किसी व्यक्ति के नामांकन को स्वीकार करने से इंकार करने से पहले या नामांकन को स्वीकार करना जारी रखने से पहले लिखित रूप में सूचित करना चाहिए:

- कॉरपोरेट या गैर–इंकॉरपोरेट निकाय अथवा संबंधित वैधानिक कार्यालय–पदधारक को, और वह कॉरपोरेट या गैर–इंकॉरपोरेट निकाय अथवा संबंधित वैधानिक कार्यालय–पदधारक प्रतिस्थापन के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का नाम दाखिल कर सकता है; और
- नामांकित व्यक्ति को कि उनकी यह राय है कि उन्हें उनके नामांकन को स्वीकार करने से इंकार कर देना चाहिए या स्वीकार करना जारी रखना चाहिए और इस राय के कारण देने चाहिए और उस व्यक्ति को प्रतिवेदन करने के अधिकार के बारे में सूचित करना चाहिए।

---

[14] पुलिस अधिनियम 1997 (क्रिमिनल रिकॉर्ड्स) (पंजीकरण) (स्कॉटलैंड) विनियम 2010 (एसएसआई 2010/383)।

130. पंजीकरण विनियमों में बताए गए ढंग से सूचित कोई भी व्यक्ति, ऐसी सूचना मिलने के 28 दिनों के अंदर, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड के सामने लिखित रूप में प्रतिवेदन कर सकता है कि डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड को क्यों उनके नामांकन को स्वीकार करने से इंकार नहीं करना चाहिए या उनके नामांकन को स्वीकार करना जारी रखना चाहिए और डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड ऐसे किसी भी प्रतिवेदनों पर विचार करेगा।

131. ऐसे प्रतिवेदनों पर विचार करने के बाद, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड को नामांकित व्यक्ति को सूचित करना चाहिए :

- कि उनकी राय है कि उन्हें उस व्यक्ति के नामांकन को स्वीकार करने से इंकार कर देना चाहिए, या स्वीकार करना जारी रखना चाहिए, और इस राय के कारण बताने चाहिए; या
- कि वे उस व्यक्ति के नामांकन को स्वीकार करने से इंकार करने, या स्वीकार करना जारी रखने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

132. यदि 28 दिन के अंदर कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड उस समय–अवधि के समाप्त होने पर उस व्यक्ति के नामांकन को स्वीकार करने से इंकार करने, या स्वीकार करना जारी रखने की कार्रवाई कर सकता है।

133. यदि प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं और डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड उस व्यक्ति के नामांकन को स्वीकार करने से इंकार करने, या स्वीकार करना जारी रखने का निर्णय लेता है, तो वह अवधि जिसके अंदर उस निर्णय को लागू किया जाना होता है उनके प्रतिवेदनों के बारे में डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड के विचारों के परिणामों की सूचना की प्राप्ति के दिन से आरंभ होने वाले अगले 28 दिनों की समय–अवधि के समाप्त होने तक होती है।

134. किसी भी व्यक्ति का नामांकन नहीं किया जा सकता यदि डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड ने, उनके द्वारा नामांकन प्राप्त करने की तिथि से दो वर्ष पहले की अवधि के अंदर, उस व्यक्ति के नामांकन को इस अधार पर स्वीकार करने से इंकार कर दिया हो, या स्वीकार करना जारी रखने से इंकार कर दिया हो कि वह व्यक्ति प्रकटीकरण जानकारी तक पहुंच बनाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं था।

संहिता और पंजीकरण विनियमों में स्थित अनिवार्यताओं का अनुपालन करने में असफल रहना

135. 1997 के अधिनियम की धारा 122(3) के तहत, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड ऐसे मामलों में प्रकटीकरणों को जारी करने से इंकार कर सकता है जहां डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड का विचार निम्नलिखित हो :

- किसी पीवीजी प्रकटीकरण अनुरोध के संबंध में प्रमाणिक या संवर्द्धित प्रकटीकरण के लिए किसी आवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर करने या घोषणा करने वाला कोई पंजीकृत व्यक्ति संहिता का अनुपालन करने में असफल रहा हो; या
- कोई ऐसा संगठन या व्यक्ति संहिता का अनुपालन करने में असफल रहा हो जिसकी ओर से कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी पीवीजी प्रकटीकरण अनुरोध के संबंध में प्रमाणिक या संवर्द्धित प्रकटीकरण के लिए किसी आवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर या घोषणा करता हो।

136. डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड ऐसे मामलों में भी प्रकटीकरणों के जारी करने से इंकार कर सकता है जहां डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड के विचार से पंजीकरण की शर्तों (जिन्हें पंजीकरण विनियमों के विनियम 12 में बताया गया है) को पूरा नहीं किया गया हो। ये शर्तें हैं :

- एक पंजीकृत व्यक्ति, जो एक कॉरपोरेट या गैर–इंकॉरपोरेट निकाय हो, का रजिस्टर में हमेशा एक प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता होना चाहिए।
- एक पंजीकृत व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रासंगिक पंजीकरण शुल्क का भुगतान समय पर किया गया हो।

137. पंजीकृत व्यक्ति के लिए आवेदनों या अनुरोधों पर कार्रवाई को निलंबित करने का आदेश उचित जांच के बिना लागू नहीं किया जाएगा। सभी पंजीकृत व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि 1997 के अधिनियम की धारा 123 और 124 (देखें परिशिष्ट ख) तथा 2007 के अधिनियम की धारा 65 से लेकर 67 तक (देखें परिशिष्ट ग) में प्रदान की गई जानकारी के अनधिकृत प्रकटीकरण के संबंध में किसी प्रमाणिक या संवर्द्धित प्रकटीकरण के लिए एक आवेदन करने या किसी योजना रिकॉर्ड अथवा योजना रिकॉर्ड अपडेट के लिए एक अनुरोध करने, और प्रकटीकरणों तक पहुंच बनाने के लिए झूठे वक्तव्य देने से संबंधित अपराधों के बारे में बताया गया है। यदि यह प्रतीत होता है कि कोई अपराध किया गया है तो डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड पुलिस से संपर्क करेगा।

138. डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड निलंबन और इसके न्यायोचित होने के बारे में संबंधित पंजीकृत व्यक्ति को सूचित करेगा।

139. पंजीकृत व्यक्ति के अनुरोध पर, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड निलंबन को हटाने पर विचार करेगा, लेकिन वह ऐसा तब तक नहीं करेगा जब तक वह इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि प्रश्नाधीन पंजीकृत व्यक्ति या प्रतिहस्ताक्षरकर्ता इसके बाद संहिता और पंजीकरण की शर्तों का पूर्णतः पालन करेगा। यदि डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड निलंबन को हटाने का निर्णय करता है, तो संगठन से, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित प्रतिहस्ताक्षरकर्ताओं को जोड़ने की इच्छा होने पर लगने वाले प्रभारों के अलावा, कोई प्रभार नहीं लिए जाएंगे।

140. इसके अतिरिक्त, 1997 के अधिनियम की धारा 122(4) के अनुसार, यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से एक पंजीकृत व्यक्ति ने किसी प्रमाणिक या संवर्द्धित प्रकटीकरण के लिए एक आवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर किए हों या करने की संभावना हो, या किसी पीवीजी प्रकटीकरण अनुरोध के संबंध में कोई घोषणा की हो या करने की संभावना हो, संहिता का अनुपालन करने में असफल रहा हो, तो स्कॉटिश मंत्री उस पंजीकृत व्यक्ति को रजिस्टर से हटा सकते हैं या रजिस्टर में शामिल करना जारी रखने के संदर्भ में उस व्यक्ति पर शर्तें लागू क सकते हैं।

प्रकटीकरणों का गुम होना

141. यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति, जिसे पंजीकृत व्यक्ति प्रकटीकरण जानकारी देता है, किसी प्रकटीकरण प्रमाणपत्र या किसी प्रकटीकरण रिकॉर्ड को खो देता है या किसी अन्य प्रकार से कहीं रखकर गंवा देता है, तो पंजीकृत व्यक्ति द्वारा तुरंत डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड को सूचित करना चाहिए। अनुरोध किए जाने पर, उस व्यक्ति को इसे खोने की परिस्थितियों का संपूर्ण ब्योरा प्रदान करना चाहिए। असामान्य परिस्थितियों में, डिस्क्लोज़र स्कॉटलैंड यह विचार करेगा कि कोई प्रतिस्थापन प्रकटीकरण जारी करना उचित रहेगा या नहीं। खोने को संहिता का उल्लंघन माना जा सकता है। पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रकटीकरण के विषय–व्यक्ति को भी तुरंत खोने के बारे में बताना चाहिए।

परिशिष्ट क

अपराधियों का पुनर्वासन अधिनियम 1974 – प्रावधानों की रूपरेखा

1. अपराधियों का पुनर्वासन अधिनियम 1974 (आरओए) का लक्ष्य किसी आपराधिक कृत्य के लिए सजा पाए और अपनी सजा पूरी कर चुके व्यक्ति के रोजगार की संभावनाओं को बेहतर बनाना है। आरओए की शर्तों के तहत, किसी भी व्यक्ति को जिसका किसी अपराधिक कृत्य के लिए दोष–प्रमाणित हो चुका है और जिसे ढाई साल से कम की सजा सुनाई गई है उसे एक निर्दिष्ट अवधि के बाद पुनर्वासित माना जा सकता है, बशर्ते कि उस अवधि के दौरान उन्हें किसी अन्य अपराध का दोषी न पाया जाए। निर्दिष्ट अवधि के बाद मूल अपराधसिद्धि को समाप्त मान लिया जाता है। सजा के प्रकार के आधार पर यह अवधि तात्कालिक पुनर्वासन से लेकर 10 वर्ष तक हो सकती है। आमतौर पर, आरओए में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जब पूछा जाता है तो पूरी की जा चुकी किसी सजा के बारे में आमतौर पर नहीं बताया जाना चाहिए, और यदि कालांतर में पूरी की जा चुकी किसी सजा के बारे में पता चलता है तो पुनर्वासित व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं किया जा सकता। 30 महीने से अधिक की जेल की सजा पर आरओए लागू नहीं होता और ऐसी सजा वाली अपराधसिद्धि कभी समाप्त नहीं हो सकती। तदनुरूप डिस्क्लोजर स्कॉटलैंड उनका हमेशा प्रकटीकरण करेगा।

2. हालांकि, रोजगार की कुछ श्रेणियों पर आरओए लागू नहीं होता और उनके लिए अन्यथा समाप्त समझी जाने वाली अपराध–सिद्धियों का भी प्रकटीकरण करना होगा। रोजगार की इन श्रेणियों को आरओए के प्रावधानों से "छूट" समझा जाना चाहिए जो प्रश्नों का जवाब देते समय किसी अपराधी को समाप्त अपराधसिद्धियों का प्रकटीकरण न करने की इजाजत देती हैं। आरओए अपवादों की सूची का उल्लेख सहायक कानून में करने की अनुमति देता है।

3. 1997 का अधिनियम जब "विमुक्त प्रश्नों" को संदर्भित करता है, तो इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति से ऐसी परिस्थितियों में समाप्त अपराधसिद्धियों के बारे में पूछना जहां आरओए के सामान्य प्रभावों (आरओए के धारा 4(2)(a) या (b) में निरूपति) को स्कॉटिश मंत्रियों के आदेश से शामिल नहीं किया गया है। आरओए के धारा 4(2)(a) या (b) में शामिल न किए गए मामलों पर स्कॉटलैंड (इस संहिता के जारी होने के समय) के वर्तमान प्रावधानों में अपराधियों का पुनर्वासनअधिनियम 1974 (छूट और अपवाद) (स्कॉटलैंड) आदेश 2003 (एसएसआई 2003/231) (संशोधित रूप में)।[15]

4. 2007 के अधिनियम में, "विमुक्त" प्रश्न पूछने का स्पष्ट संदर्भ नहीं है। हालांकि, विनियमित कार्य करने की किसी व्यक्ति की की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए उस व्यक्ति से पिछली अपराधसिद्धि के बारे में पूछने को फिर भी एक विमुक्त प्रश्न पूछना माना जाता है क्योंकि इस प्रकार के पदों को 2003 के आदेश में किए गए संशोधनों के द्वारा आरओए के प्रावधानों से हटाया गया है।

   आरओए छूट और अपवाद आदेश के सबसे हालिया लिंक और प्रासंगिक संशोधनकारी आदेश डिस्क्लोजर स्कॉटलैंड की वेबसाइट www.disclosurescotland.co.uk के "प्रकाशन" पृष्ठ पर "विनियम" शीर्षक के तहत उपलब्ध हैं।

[15] अपराधियों का पुनर्वासन अधिनियम 1974 (अपवर्जन और अपवाद) (स्कॉटलैंड) संशोधित आदेश 2010 (एसएसआई 2010/243) द्वारा, पीवीजी योजनाओं और संबंधित उद्देश्यों के लिए, शामिल।

परिशिष्ट ख

अपराध : पुलिस एक्ट 1997

नोट : यह संलग्नक 1997 के अधिनियम में स्थापित अपराधों को दर्शाता है। यदि अपराधों के बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए, तो सुझाव दिया जाता है कि नियोक्ता और पंजीकृत व्यक्ति पेशेवर कानूनी परामर्श प्राप्त करें।

निम्नलिखित को 1997 के अधिनियम की धारा 124 से लिया गया है।

अपराध – प्रकटीकरण

1. धारा 120 के तहत पंजीकृत किसी निकाय का कोई सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी अपराध करता है यदि वह धारा 113A या 113B के तहत किसी आवेदन के जवाब में जानकारी का प्रकटीकरण करता है जब तक कि वह निम्नलिखित को इसका प्रकटीकरण, अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए न करे –

   (क) पंजीकृत निकाय के किसी अन्य सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी को,

   (ख) किसी निकाय के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी को जिसके अनुरोध पर पंजीकृत निकाय ने अनुरोध पर प्रतिहस्ताक्षर किया था, या

   (ग) किसी व्यक्ति को जिसके अनुरोध पर पंजीकृत निकाय ने संबंधित अनुरोध पर प्रतिहस्ताक्षर किया था।

2. जहां किसी ऐसे निकाय के अनुरोध पर, जो निकाय धारा 120 के तहत पंजीकृत नहीं है, प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन पर धारा 113A या 113B के तहत जानकारी प्रदान की जाती है तो सदस्य, अधिकारी या उस निकाय का कर्मचारी जानकारी का प्रकटीकरण करके अपराध करेगा बशर्ते कि किसी अन्य सदस्य, अधिकारी या उस निकाय के किसी कर्मचारी के समक्ष यह प्रकटीकरण वह अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए नहीं कर रहा हो।

3. जहां किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित या उसके अनुरोध पर प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन के जवाब में धारा 113A या 113B के तहत जानकारी प्रदान की जाती है –

   (क) वह व्यक्ति अपराध करता है यदि वह जानकारी का प्रकटीकरण करता है बशर्ते के वह अपने किसी कर्मचारी के समक्ष यह प्रकटीकरण कर्मचारी के दायित्वों के मद्देनजर न करे, और

   (ख) उस व्यक्ति का कोई कर्मचारी अपराध करता है यदि वह उस जानकारी का प्रकटीकरण करता है बशर्ते कि वह यह प्रकटीकरण, अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए, उस व्यक्ति के किसी अन्य कर्मचारी के समक्ष न करे।

4. जहां 113A या 113B के तहत दी गई जानकारी का किसी व्यक्ति को प्रकटीकरण किया जाता है और यह प्रकटीकरण–

   (क) इस धारा के तहत एक अपराध हो, या

   (ख) उपधारा (5) या (6) (a), (d), (e)या (f) के न होने पर इस धारा के तहत एक अपराध होता, जिस व्यक्ति को प्रकटीकरण किया गया है वह एक अपराध करेगा (उपधारा (5) और (6) के तहत) यदि वह किसी अन्य व्यक्ति को इसका प्रकटीकरण करता है।

5. उपधारा (1) से (4) तक धारा 113B(5) के प्रावधान के अनुरूप दी गई जानकारी के किसी प्रकटीकरण पर लागू नहीं होते जो जानकारी प्रदान करने वाले मुख्य अधिकारी की लिखित सहमति से किए गए हों।

परिशिष्ट ख

6. उपधाराएं (1) से (4) धारा 113A या 113B के तहत किसी प्रमाणपत्र में समाहित जानकारी के किसी प्रकटीकरण पर लागू नहीं होतीं जिसे –

   (क) प्रमाणपत्र के आवेदक की लिखित सहमति से किया जाए, या

   (ख) किसी सरकारी विभाग को किया जाए, या

   (ग) किसी अधिनियमन के तहत किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति को किया जाए, या

   (घ) किसी अधिनियिम के तहत या उसके कारण से जानकारी प्रदान करने के दायित्व के अनुरूप, या

   (च) किसी ऐसे विमुक्त प्रश्न (धारा 113A के अर्थ के अधीन) का जवाब देने के लिए जो राज्य के सचिव द्वारा सृजित विनियमों में किए गए उल्लेख से मिलता–जुलता हो, या

   (छ) राज्य के सचिव द्वारा सृजित विनियमों में उल्लिखित किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

7. इस धारा के तहत किसी अपराध का दोषी पाया जाने वाला व्यक्ति संक्षिप्त अपराधसिद्धिके उपरांत अधिकतम छह महीने की कैद या मानक पैमाने पर अधिकतम स्तर 3 के जुर्माने, या दोनों का हकदार होगा।

निम्नलिखित को 1997 अधिनियिम की धारा 123 से रूपांतरित किया गया है

अपराध – जालसाजी, आदि

प्रकटीकरण जानकारी के अनुचित प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप हुए अपराध के अतिरिक्त, 1997 अधिनियम के भाग V के तहत गलत जानकारी प्रदान करने वाले आवेदकों या प्रतिहस्ताक्षरकर्ताओं पर अन्य अपराध भी लागू होते हैं।

1. इन परिस्थितियों में, कोई व्यक्ति, अपराध करेगा यदि, धोखा देने के मंतव्य से, वे :

   (क) गलत प्रमाणपत्र पेश करते हैं,

   (ख) किसी प्रमाणपत्र में संशोधन करते हैं,

   (ग) किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित प्रमाणपत्र का इस तरह प्रयोग करते हैं जैसे कि वह उनसे संबंधित हो, या

   (घ) किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं से संबंधित किसी प्रमाणपत्र का इस तरह से प्रयोग करने की अनुमति देते हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि वह प्रमाणपत्र दूसरे व्यक्ति से संबंधित है।

2. कोई व्यक्ति अपराध करता है यदि वह किसी अन्य व्यक्ति को प्रमाणपत्र हासिल करने, या हासिल करने में सक्षम होने के उद्देश्य से, जानबूझकर गलत वक्तव्य देता है।

3. इस धारा के तहत किसी अपराध का दोषी पाया जाने वाला व्यक्ति संक्षिप्त अपराधसिद्धि के उपरांत अधिकतम छह महीने की कैद या मानक पैमाने पर अधिकतम स्तर 5 के जुर्माने, या दोनों का हकदार होगा।

परिशिष्ट ग

अपराध : अरक्षित समूहों की सुरक्षा (स्कॉटलैंड) अधिनियम 2007

ध्यान दें : यह परिशिष्ट 2007 के अधिनियम में स्थापित अपराध दर्शाता है। यदि इन अपराधों के बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए, तो सुझाव दिया जाता है कि नियोक्ता और पंजीकृत व्यक्ति पेशेवर कानूनी परामर्श प्राप्त करें।

निम्नलिखित को 2007 के अधिनियम की धारा 65 से लिया गया है

(1) धोखा देने के मंतव्य से किसी व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना एक अपराध है –

(क) कोई दस्तावेज बनाना जो एक प्रकटीकरण अभिलेख होने का दावा करता हो,

(ख) किसी प्रकटीकरण अभिलेख में संशोधन करना,

(ग) किसी प्रकटीकरण अभिलेख का इस तरह प्रयोग करना, या किसी अन्य व्यक्ति को प्रयोग की अनुमति देना जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि उसका संबंध जिस कार्यक्रम सदस्य के लिए उसका प्रकटीकरण किया गया था उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति से है।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए जान–बूझकर गलत या भ्रामक घोषणा करना या अन्य वक्तव्य देना अपराध है –

(क) कोई प्रकटीकरण अभिलेख प्राप्त करना, या किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त करने में सक्षम बनाना, या

(ख) मंत्रियों को संतुष्टि देना कि कोई व्यक्ति जो विनियमित काम कर रहा है वह ऐसा नहीं कर रहा है।

निम्नलिखित बिंदुओं को 2007 के अधिनियम की धारा 66 से लिया गया है

(1) कोई व्यक्ति जिसे धारा 51, 52, 53 या 54 के तहत प्रकटीकरण जानकारी का प्रकटीकरण किया गया है अपराध करता है यदि वह इसे किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष इसका प्रकटीकरण करता है।

(2) उपधारा (1) के तहत प्रकटीकरण जानकारी का निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रकटीकरण करके कोई व्यक्ति अपराध नहीं करता–

(क) उस व्यक्ति के किसी कर्मचारी को,

(ख) जहां वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के किसी सदस्य या अधिकारी का व्यक्ति नहीं है, या

(ग) जहां प्रकटीकरण निम्नलिखित व्यक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को सक्षम बनाने या सहायता प्रदान करने के उद्देश्य के लिए किया गया था ताकि वह किसी कार्यक्रम सदस्य की विनियमित कार्य करने, या सौंपे जाने या आपूर्ति किए जाने की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए किया गया था–

(i) उस दूसरे व्यक्ति को,

(ii) उस दूसरे व्यक्ति के किसी कर्मचारी को, या

(iii) जहां वह दूसरा व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के किसी सदस्य या अधिकारी का व्यक्ति न हो।

(3) उपधारा (2) (a) या (b) या (4)(a) के कारण से जिस व्यक्ति को कानूनी तौर पर प्रकटीकरण जानकारी का प्रकटीकरण किया जाता है वह अपराध करता है यदि किसी अन्य व्यक्ति को इसका प्रकटीकरण करता है।

(4) उपधारा (3) के तहत कोई व्यक्ति तब अपराध नहीं करता जब वह निम्नलिखित को प्रकटीकरण जानकारी का प्रकटीकरण अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए करता है–

(क) किसी दूसरे व्यक्ति को जो उस व्यक्ति का सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी है जिसे धारा 52, 53 या 54 के तहत संबंधित प्रकटीकरण किया गया था, या

(ख) जहां प्रकटीकरण निम्नलिखित व्यक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को सक्षम बनाने या सहायता प्रदान करने के उद्देश्य के लिए किया गया था ताकि वह किसी कार्यक्रम सदस्य की विनियमित कार्य करने, या सौंपे जाने या आपूर्ति किए जाने की उपयुक्तता पर विचार करने के लिए किया गया था–

(i) उस दूसरे व्यक्ति को,

(ii) उस दूसरे व्यक्ति के किसी कर्मचारी को, या

(iii) जहां वह दूसरा व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के किसी सदस्य या अधिकारी का व्यक्ति न हो।

(5) उपधारा (2)(c)(i) या (4)(b)(i) के कारण से जिस व्यक्ति को कानूनी तौर पर प्रकटीकरण जानकारी का प्रकटीकरण किया जाता है वह अपराध करता है यदि वह कसी अन्य व्यक्ति को इसका प्रकटीकरण करता है।

(6) उपधारा (5) के तहत निम्नलिखित को प्रकटीकरण जानकारी का प्रकटीकरण करके कोई व्यक्ति अपराध नहीं करता–

(क) उस व्यक्ति के किसी कर्मचारी को, या

(ख) जहां वह उस व्यक्ति के किसी सदस्य या अधिकारी का व्यक्ति न हो।

(7) उपधारा (2)(c)(ii) या (iii) या (4)(b)(ii) या (iii) के कारण से जिस व्यक्ति को कानूनी तौर पर प्रकटीकरण जानकारी का प्रकटीकरण किया जाता है वह अपराध करता है यदि वह किसी अन्य व्यक्ति को इसका प्रकटीकरण करता है।

(8) उपधारा (7) के तहत कोई व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वाह करने के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को प्रकटीकरण जानकारी का प्रकटीकरण करके अपराध नहीं करता जो उस व्यक्ति का सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी है जिसके उद्देश्यों के लिए धारा 52, 53 या 54 के तहत संबंधित प्रकटीकरण किया गया था।

(9) कोई व्यक्ति जिसे प्रकटीकरण जानकारी का गैरकानूनी ढंग से प्रकटीकरण किया गया है अपराध करता है यदि वह किसी अन्य व्यक्ति को इसका प्रकटीकरण करता है।

निम्नलिखित बिंदुओं को 2007 के अधिनियम की धारा 67 से लिया गया है

(1) स्वीकृत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी प्रकटीकरण अभिलेख प्राप्त करने का अनुरोध करना, या अन्यथा देखने का प्रयास करना अपराध है।

(2) स्वीकृत उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रकटीकरण जानकारी का उपयोग करना अपराध है।

(3) स्वीकृत उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की उपयुक्तता पर विचार करने में किसी व्यक्ति ("Z") को सक्षम बनाना या सहायता करना है जिससे कि वह अभिलेख या जानकारी संबंधित है–

(क) जिस प्रकार के विनियमित कार्य से वह प्रकटीकरण अभिलेख संबंधित है वह कार्य करना, या वह कार्य पेश किया जाना या उसके लिए आपूर्ति किया जाना, या

(ख) Z को जिस तरह की सेवाएं प्रदान की जाती हैं उन समझौतों को पूरा करने के दौरान Z के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए निर्दिष्ट परिस्थितियों में उस तरह का विनियमित कार्य करना।

(4) उपधारा (1) में प्रकटीकरण अभिलेखों के संदर्भों में प्रकटीकरण अभिलेखों में शामिल जानकारियों के संदर्भ शामिल नहीं होते।

निम्नलिखित बिंदुओं को 2007 के अधिनियम की धारा 69 से लिया गया है

ऊपर धारा 65, 66 या 67 के तहत किसी अपराध का दोषी व्यक्ति संक्षिप्त अपराध–सिद्धि होने पर अधिकतम 6 महीने की कैद या मानक पैमाने पर अधिकतम स्तर 5 के जुर्माने, या दोनों का हकदार होगा।